ध्येयIAS®

most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अप्रैल 2018 अंक 05

विषय सूची

अप्रैल 2018
अंक–5

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–15

- भारत के बचपन पर होता कुठाराघात
- भारत की जनसंख्या : जनांकिकीय लाभांश अथवा बोझ
- विधायिका के कठघरे में मुख्य न्यायाधीश को लाने की कवायद
- नये भारत के लिए सॉफ्ट पावर नीति की आवश्यकता
- सीरिया विवाद : विश्व शांति के लिए बढ़ता खतरा
- शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों का उपचार : ऑपरेशन ग्रीन
- तटीय विनियमन क्षेत्र 2018 की सूक्ष्म पड़ताल

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16–20

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 21–28

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 29–37

सात महत्वपूर्ण तथ्य 38

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 39

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 40

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. भारत के बचपन पर होता कुठाराघात

चर्चा का कारण

कठुआ और देश के कुछ दूसरे हिस्सों में बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) समेत अनेक संगठनों ने ऐसे जघन्य मामलों में मौत की सजा की पैरवी करते हुए पॉक्सो कानून में जरूरी संशोधन की माँग की है।

पॉक्सो कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करने वाली संस्था ने यह भी कहा कि विशेष दर्जे वाले जम्मू-कश्मीर राज्य में भी पॉक्सो या इस तरह का कोई दूसरा कानून लागू होना चाहिए।

गौरतलब है कि बाल यौन अपराध विरोधी कानून पॉक्सो के तहत अभी तक जघन्य मामलों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना संसद के एक अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियां कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हो, जैसाकि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेंशन) में प्रतिपादित किया गया है। बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है, जिसके साथ राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर परिभाषित प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और मजबूतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक बालक तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से इसमें समुदायों तथा कुटुम्बों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र में हासिल किए गये सामूहिक अनुभव पर उच्चत्तर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार, आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्थानिर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेंद्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।

संरचना

- केंद्र सरकार द्वारा आयोग में निम्न सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- अध्यक्ष जिसने बाल कल्याण को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- छह अन्य सदस्य जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण, विकास, बाल न्याय, हाशिये पर पड़े उपेक्षित अपंग व परित्यक्त बच्चों की देखभाल या बाल श्रम उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान और कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो।
- सदस्य सचिव, जो संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष होगा या उसके नीचे स्तर का नहीं होगा।

बाल संरक्षण आयोग का दायित्व

बाल संरक्षण आयोग के निम्नलिखित दायित्व हैं:

- किसी विधि के अधीन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाये गये उपायों की निगरानी व जांच करना जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्तमान केंद्र सरकार को सुझाव देते हैं।
- उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, वेश्यावृत्ति और अश्लील साहित्य से प्रभावित बच्चों के खुशी के अधिकार व अवसर को कम करती है और उसके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- ऐसे संकटग्रस्त, वंचित और हाशिये पर खड़े बच्चे जो बिना परिवार के रहते हों और कैदियों के बच्चों से संबंधित मामलों पर विचार करना और उसके लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना और बच्चों के लिए उपलब्ध सुरक्षोपाय के बारे में जागरूकता फैलाना।
- केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी सहित किसी भी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संस्थान जहां बच्चों को हिरासत में या उपचार के उद्देश्य से या सुधार व संरक्षण के लिए रखा गया हो, वैसे बाल सुधार गृह या किसी अन्य स्थान पर जहाँ बच्चों का निवास हो या उससे जुड़ी संस्था का निरीक्षण करना।

बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच

बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर ऐसे मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ करना और निम्न मामलों में स्वत: संज्ञान लेना, जहाँ:

- बाल अधिकारों का उल्लंघन व उपेक्षा होती हो।
- बच्चों के विकास और संरक्षण के लिए बनाये गये कानून का क्रियान्वयन नहीं किया गया हो।
- बच्चों के कल्याण और उसे राहत प्रदान करने के लिए दिये गये नीति निर्णयों,दिशा-निर्देशों या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता हो।
- जहाँ ऐसे मामले पूर्ण प्राधिकार के साथ उठाये गये हों।
- बाल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के आवधिक समीक्षा और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का अध्ययन कर बच्चों के हित में उसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सिफारिश करना।

- बाल अधिकार पर बने अभिसमयों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए बाल अधिकार से जुड़े मौजूदा कानून, नीति एवं प्रचलन या व्यवहार का विश्लेषण व मूल्यांकन करना और नीति के किसी भी पहलू पर जाँच कर प्रतिवेदन देना जो बच्चों को प्रभावित कर रहा हो और उसके समाधान के लिए नये नियम बनाने का सुझाव देना।
- सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्य के दौरान व स्थल पर बच्चों के विचारों के सम्मान को बढ़ावा देना और उसे गंभीरता से लेना।
- बाल अधिकारों के बारे में सूचना उत्पन्न करना और उसका प्रचार-प्रसार करना।
- बच्चों से जुड़े आँकड़े का विश्लेषण व संकलन करना।
- बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और बच्चों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षण कर्मियों के प्रशिक्षण पुस्तिका में बाल अधिकार को बढ़ावा देना और उसे शामिल करना:
  1. बाल अधिकारों की समझ
  2. संरक्षण का अधिकार
  3. बाल संरक्षण और कानून

संविधान में बाल अधिकार

भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है-

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 (3): राज्य को बच्चों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए अधिकार देता है।
- संविधान की धारा 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक उद्योग में नियुक्त किया जायेगा।
- इसकी धारा 39-ई में इस बात का उल्लेख है कि राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और कम उम्र के बच्चों का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम को आर्थिक जरुरतों के लिए न करें।
- हमारे संविधान की धारा धारा 39-एफ में इस बात का उल्लेख है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जायेगा।
- इसके अनुच्छेद 21(ए) के अनुसार राज्य के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा देना कानूनी रूप से आवश्यक है तथा राज्य ऐसा करने के लिए बाध्य है।
- अनुच्छेद 39 (इ) के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य और रक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य कानूनी रूप से बाध्य है।
- हमारे संविधान का अनुच्छेद 39 (एफ) मानता है कि बच्चों को सम्मान व गरिमामय तरीके से विकास करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है।
- हमारे संविधान में बाल श्रम को एक ऐसा विषय माना गया है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनों कानून बना सकती हैं। दोनों स्तरों पर कई कानून बनाये भी गये हैं।
- बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986- यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 13 व्यवसाय और 57 प्रक्रियाओं में, जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशाओं और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है।

इसकी आवश्यकता क्यों

हालांकि भारत सरकार ने आधारभूत शिक्षा एवं बच्चों के विकास को लक्ष्य मानते हुए कई योजनाओं व कार्यक्रमों की शुरूआत की है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है तथा जगह-जगह हम बच्चों के अधिकारों का हनन होते हुए देखते हैं। आज बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शोषित है तथा संविधान में दिए गए अधिकार से वंचित है। हमारे देश के गरीब, पिछड़े एवं आदिवासी बहुल इलाकों से प्राय: बच्चों के लापता होने, उनके साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार आदि की घटनाएँ होती रहती हैं। यह एक सभ्य समाज के माथे पर कलंक का ही रूप है।

आज विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों का शोषण हो रहा है। इस शोषण के बहुत से कारण हैं। समय-समय पर कराए गए अलग-अलग सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि इसके लिए कहीं पर सरकार, कहीं समाज तो कहीं परिवार जिम्मेदार है। हमारे समाज में बहुत सी रुढ़ियाँ आज भी व्याप्त है जिनका उन्मूलन आवश्यक है। आज भी हम देख सकते हैं कि किस तरह लड़के और लड़कियों को लेकर भेदभाव किया जाता है जो बच्चों के विकास को अवरूद्ध करता है तथा इस तरह का भेदभाव करना शोषण का ही एक रूप है।

भारत में कराये गए अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के शोषण में पांच से 12 वर्ष तक के छोटे बच्चे शोषण और दुर्व्यवहार के सबसे अधिक शिकार होते हैं तथा इन बच्चों पर खतरा भी सबसे ज्यादा होता है।

बाल शोषण के इन आंकड़ों पर हम नजर डाले तो तस्वीर साफ हो जाएगी। ये आंकड़े कहते हैं कि प्रत्येक 3 में से 2 बच्चे शारीरिक शोषण के शिकार बनते हैं जिसमें 69 प्रतिशत कुल शोषण के आंकड़ों में 54.68 प्रतिशत लड़के हैं। इस शोध में यह बात भी सामने आई है कि 50.2 प्रतिशत बच्चे सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं। बच्चों का भावनात्मक रूप से भी शोषण होता है इसका एक उदाहरण यह है कि जब लड़कियों से उनकी खुशी के बारे में पूछा गया तो 48.4 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि अगर वे लड़के होते तो अच्छा होता।

आगे की राह

यद्यपि कुछ क्षेत्रों में लाभदायक उपलब्धियां अर्जित की गई हैं लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे वंचित और हाशिए पर हैं। गरीबी आदि जैसी पुरानी समस्या से विलग बाल यौन उत्पीड़न सहित बाल अश्लील साहित्य/फिल्म व साइबर क्राइम जैसे प्रौद्योगिक चालित वर्तमान मुद्दों को तत्काल निराकृत (निवारण) करने की आवश्यकता है। आज बढ़ते बाल यौन उत्पीड़न अथवा बच्चों के साथ दुष्कर्ष की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मिल कर एक टीम के रूप में कार्य करें तथा बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए क्रमबद्ध होकर कार्रवाई करें। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए केवल सरकार ही नहीं अपितु विद्यालय, प्रशासन, माता-पिता तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार होना होगा। हमें उन कारणों पर विचार ही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई करनी होगी जो कठुआ जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार के पशुवत आचरण पर विराम के लिए समाज में उत्पन्न इस घिनौनी सोच को बदलना होगा जो मानवीय गरिमा को कलंकित कर रही है।

"हसरतें उन गुंचको से,
जो बिना खिले ही मुरझा गई।"

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

2. भारत की जनसंख्या : जनांकिकीय लाभांश अथवा बोझ

चर्चा का कारण

हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का बेहद छोटा आकार होने तथा शिक्षा का लाभ अब भी दूरस्थ इलाकों तक नहीं पहुंच पाना चिंताजनक है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। मुखर्जी ने एक कार्यक्रम में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारियों के समूह को संबोधित करते हुए कहा कि यदि रोजगार सृजित नहीं किये गये तो देश के जनांकिकीय लाभ के जनांकिकीय त्रासदी में बदल जाने का जोखिम रहेगा। उन्होंने 13वें 'बीएमएल मुंजाल अवार्ड्स फोर बिजनेस एक्सीलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट' में कहा, "भारत ने पिछले सात दशकों, खासकर उदारीकरण के बाद पिछले तीन दशकों में बेहतरीन तरक्की की है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ हैं उन्होंने कहा, हमारी वृद्धि की गति शानदार रही है पर संभावित तरीके से रोजगार सृजन में सफल नहीं रही है। हमें रोजगार सृजित करने होंगे वरना जनांकिकीय लाभ के जनांकिकीय त्रासदी में बदलने का जोखिम रहेगा। युवाओं को कुशल बनाने के बारे में मुखर्जी ने कहा कि सरकार द्वारा काफी सराहनीय काम किया गया है लेकिन यह अभी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हर साल रोजगार बाजार में लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में रोजगार के मौके उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यह देश के जनांकिकीय लाभांश का सही लाभ उठाने के रास्ते में बड़ी बाधा साबित हो रही है। प्रणब मुखर्जी का कहना था, 'हर साल लगभग 10 मिलियन (एक करोड़) लोग रोजगार बाजार में आते हैं लेकिन इन अनुपात में रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस समस्या के हल के लिए हमें स्टार्टअप जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना होगा। हमें छोटे कारोबार शुरू करने चाहिए।

भारत की युवा शक्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा, आज हमारे पास सबसे अधिक युवा शक्ति और कार्यबल है जो एक बड़ी उपलब्धि है।

परिचय

भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 15 से 64 वर्ष के बीच में है। इस बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या को गैर कृषि क्षेत्रों में लगाये जाने से आय में उच्च वृद्धि होगी। आय में उच्च वृद्धि, उच्च बचत को प्रोत्साहित करती है तथा उच्च बचत, उच्च निवेश को बढ़ावा देती है। इन कारणों से जनांकिकीय लाभांश को किसी देश के विकास की जीवन रेखा माना जाता है। भारत इस लाभांश के शीर्ष पर है जो 2040 तक समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में एक मिलियन भारतीय प्रत्येक महीने कार्य बल में शामिल हो रहे हैं। यही भारत की जनांकिकीय लाभांश है। किसी भी देश को जनांकिकीय लाभांश दो से तीन दशकों में प्राप्त होती है ऐसा तब होता है जब जन्म दर गिरती है तथा जनसंख्या की तुलना में देश में कार्य बल तेजी से वृद्धि करता है। वैश्विक परिदृश्य में देखें तो 2022 तक भारत का औसत मध्यम उम्र 28 साल होगा, जो चीन व यूएस में 37, पश्चिमी यूरोप में 45 तथा जापान में 49 के मुकाबले काफी कम है अर्थात भारत युवा देश है। जनांकिकीय लाभांश किसी भी अर्थव्यवस्था की दशा व दिशा दोनों बदल सकता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण चीन है। भारत को भी अपनी जनांकिकीय लाभांश का लाभ लेना चाहिए।

2016 का वर्ष वैश्विक जनांकिकीय लाभांश के क्षेत्र में बदलाव का वर्ष था। यह 1950 के बाद पहली बार था जब विकसित देशों में संयुक्त कार्यशील जनसंख्या (15-59) में गिरावट आयी है। अगले 2-3 दशकों में यूनाइटेड नेशन का यह अनुमान है कि चीन व रूस की कार्यशील जनसंख्या में 20 प्रतिशत की गिरावट होगी।

जनांकिकीय लाभांश क्या है

यह अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जनसंख्या ढाँचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या (15 से 64 वर्ष आयु वर्ग) तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। भारत आज युवाओं का देश है और अगले 20 वर्षों तक रहेगा। जनांकिकीय आंकड़ों के अनुसार आज लगभग 60 प्रतिशत भारतीय 15 से 64 वर्ष के हैं और लगभग 35 प्रतिशत 15 से 34 वर्ष के हैं। सबसे अधिक उत्पादन आयु अर्थात लगभग 42 करोड़ युवा कुछ कर सकने की भौतिक क्षमता रखता है।

जनांकिकीय लाभांश की वर्तमान स्थिति

आबादी किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि हमारे इस संसाधन में युवा और कार्यशील आबादी की हिस्सेदारी लगातार विस्तार ले रही है। जहां कार्यशील आबादी 2001 में 60 प्रतिशत थी वो 2011 में बढ़कर 63.4 प्रतिशत हो गयी है इस कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 साल उम्र वाली आबादी है। दूसरी तरफ कार्यशील आबादी के ऊपर निर्भर बच्चों (0-14) और बुजुर्गों (65-100) का अनुपात 0.55 फीसदी रह गया है। शहरों में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट के चलते ग्रामीण भारत में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक युवा है। कुल ग्रामीण आबादी 51.73 प्रतिशत में 24 साल की आयु वाले युवाओं की आबादी ज्यादा है। वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कार्यशील आयु 24 वर्ष है। जो 2001 में 22 वर्ष थी लगभग 47.2 करोड़ देश में 18 साल से कम उम्र की आबादी है। 49.91 फीसदी देश की कुल आबादी में 24 साल से कम उम्र की कार्यशील जनसंख्या की आबादी है।

आबादी आयु वर्ग	1961	1971	1981	1991	2001	2011
0-14	41	41.2	39.5	37.7	34.3	30.2
15-64	56	55.5	57	58.4	61.4	64.8
65 और ऊपर	3	3.3	3.5	3.9	4.3	5

लाभ

युवा आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। युवा जनसंख्या से निम्न लाभ हैं-

- फिक्की के अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर वह अगले कई दशकों तक प्रचुर आर्थिक लाभ लेने की स्थिति में है। बड़ी आबादी और तेज वृद्धि दर ने एक ऐसा जनांकिकीय पिरामिड तैयार कर दिया है जिसका लाभ देश व दुनिया को कई दशकों तक मिलता रहेगा।
- 2015 से जनसांख्यिकी खूबियों से मिलने वाला लाभ चीन को कम होता जाएगा, वहीं भारत को 2040 तक इसका लाभ मिलता

रहेगा। कार्यशील आबादी का बढ़ता हुआ अनुपात श्रम उत्पादकता को बढ़ाने का अवसर साबित हो सकता है।

- घरेलु उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, सेवाओं से मिलने वाला राजस्व कई गुना बढ़ सकता है, बचत में वृद्धि होगी, वृद्धि होने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से रोजगार के नये-नये अवसर सृजित होंगे, जीडीपी में वृद्धि होगी।
- बचत में वृद्धि और कार्यशील आबादी पर आश्रित बुजुर्गों और बच्चों का बोझ घटने से उनकी आय का हिस्सा अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पक्षों में लगेगा।

कारण

कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि के प्रमुख कारणों में जनसंख्या वृद्धि प्रमुख हैं हालांकि यह जनसंख्या वृद्धि अब 17.64% पर आ गई है लेकिन अभी भी वह उच्च स्तर बनी हुई है। क्योंकि हर साल लगभग 10 मिलियन यानी एक करोड़ रोजगार बाजार में आते हैं।

- आज भारत के हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं उद्योग क्षेत्र से लेकर विनिर्माण क्षेत्र में हर जगह रोजगार सिमटा है।
- शिक्षा पद्धति का परंपरागत स्वरूप भी एक कारण है। आज भी भारत में कौशल विकास से संबंधित शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसके अलावा, स्कूल तथा शिक्षकों की बेहद कमी है।
- भारत के आजादी के 70 साल बाद भी व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक की कमी है। हालांकि वर्तमान सरकार ने कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को कौशल शिक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन रोजगार के क्षेत्र में अभी कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। इसी तरह मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया उस्ताद योजना का भी वही हाल है आदि।
- शिक्षा से संबंधित स्पष्ट नीति का अभाव भी एक कारण है अर्थात एकीकृत शिक्षा का अभाव। भारत में राज्यों के अपने-अपने बोर्ड हैं तथा केंद्र सरकार के अपने बोर्ड हैं।
- श्रम ब्यूरो के नवीनतम सर्वे के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 में 2.13 लाख नए रोजगार सृजित हुए जो पिछले 60 सालों में रोजगार का निचला स्तर है।
- देश में प्रति 10 लाख इंजीनियरों में से 90 प्रतिशत से अधिक को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है।
- शिक्षा और रोजगार का आपस में न जुड़ा होना।
- विभिन्न राज्यों में छोटे व्यावसायों पर कई प्रकार के विनियामक प्रतिबंध लगे हुए हैं।
- सरकारी क्षेत्र के अलावा, असंगठित क्षेत्र, उनका समन्वय, राजकोषीय स्थिति, मौद्रिक नीति, सार्वजनिक व्यय, कृषि और पशुपालन उद्योग आदि का पिछड़ा होना।
- पर्याप्त पूंजी का अभाव।

प्रभाव

किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या का होना उस देश के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। परंतु जब इस युवा शक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर न मिले तो देश का विकास विनाश के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कुछ कारण निम्नलिखित हैं-

- डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ अगर समय रहते नहीं लिया गया अर्थात युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है।
- इससे छात्र आंदोलनों का दौर चल पड़ेगा जिससे देश में अराजकता का माहौल व्याप्त होगा।
- शिक्षित युवा बंदूक उठा सकता है जिससे देश में नक्सलवाद, आतंकवाद, चोरी, डकैती की घटनाओं में वृद्धि होगी अर्थात सामाजिक अशांति में वृद्धि होगी।
- कार्यशील युवा को रोजगार न मिलने से उनके क्रयक्षमता में कमी होगी क्रयक्षमता में कमी से निवेश कम होगा और जिस देश में निवेश कम होता है वहाँ उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने से कंपनिया श्रम की छटनी करती है इससे बाजार में मांग कम होती है और अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो जाती है।
- कार्यशील जनसंख्या को रोजगार न मिलने से ये जनसंख्या अवसाद में चली जाएगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अर्थात स्वास्थ्य खर्च बढ़ेगा।
- आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि होती है आज के इस आधुनिक समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सालाना आत्महत्या के लगभग 8 लाख मामलों में 21 फीसदी भारत में ही होते हैं।

आगे की राह

भारत में लगातार कम हो रहे रोजगार के अवसर ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने यह माना की सूचना तकनीकी, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने से ही रोजगार में कमी आई है। रोजगार की कमी को दूर करने के निम्न उपाय हैं-

- जनांकिकीय लाभांश लेने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा इसके लिए मजबूत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनायी गई है।
- पिछले तीन साल में सरकार ने मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया व स्किल इण्डिया जैसी अनेक पहल की है तथा विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है। ऐसे में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में उन बातों को शामिल करना होगा जिससे की व्यापार नीति और विनिर्माण नीति में सामंजस्य बना रहे।
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम आधारित विनिर्माण क्षेत्र जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर निर्माण उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि के लिए विशेष पैकेज देना होगा।
- सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग का देश के कुल विनिर्माण में 45% योगदान है लेकिन सरकार के पास इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है। अतः इस दिशा में केंद्र सरकार को व्यापक नीतियों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसमें शहरी विकास योजना भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- शिक्षित लोगों को रोजगार देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार लाना होगा साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और न्यायपालिका आदि के विकास में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियाँ सृजित की जा सकती है।
- हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक सफलता मिली है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर अभी भी बनी हुई है। इसे रोकने के लिए कारगर उपायों की आवश्यकता है साथ ही जनसंख्या नियंत्रण में आम सहभागिता की जरूरत है।

- शिक्षा पद्धति के परंपरागत स्वरूप को बदलते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना होगा इसके लिए विश्व के विकसित देशों के साथ शैक्षिक व अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते कर रोजगार की समस्या से निपट जा सकता है।
- परंपरागत शिक्षा के साथ-साथ स्कूली स्तर से लेकर कॉलेज स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए साथ ही इससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं जैसे स्कूल, कॉलेजों तथा शिक्षकों की कमी को दूर करना होगा।
- शिक्षा के क्षेत्र में एक स्पष्ट और एकीकृत शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो संपूर्ण भारत में मान्य हो।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, साथ ही शिक्षा और रोजगार को आपास में जोड़ने की आवश्यकता है।
- विभिन्न राज्यों में छोटे व्यावसायों पर कई प्रकार के लगे विनियामक प्रतिबंधों को रोजगार के अनुसार बदलने की आवश्यकता है।
- सरकारी क्षेत्र के अलावा, असंगठित क्षेत्र, कृषि और पशुपालन उद्योग आदि में भारी निवेश की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. विधायिका के कठघरे में मुख्य न्यायाधीश को लाने की कवायद

चर्चा का कारण

हाल ही में काँग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अन्य छ विपक्षी पार्टियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था इन विपक्षी पार्टियों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, (एनसीपी), सीपीएम, सीपीआई और मुस्लिम लीग शामिल थीं।

इन सभी पार्टियों ने मुख्य न्यायाधीश पर लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सभापति ने खारिज कर दिया था। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया था।

महाभियोग का नोटिस खारिज होने की वजह

नवीनतम घटनाक्रम में 23 अप्रैल को संविधान विशेषज्ञों से इस मसले पर सलाह-मशविरा करने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग के नोटिस को खारिज कर दिया। सभापति के नोटिस अस्वीकार करने के आदेश को यदि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो उस पर सुनवाई करने वाली पीठ का निर्णय मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, क्योंकि वही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं।

कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति द्वारा इस महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज करने की वजह कार्य विधि की अनुचित प्रक्रिया तथा नोटिस में महाभियोग के लिए लगाए जाने वाले आरोपों का मजबूत आधार नहीं होना था। विपक्ष के 7 दलों के 71 सांसदों ने महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर किया था इस पर सात रिटायर्ड सांसदों

के हस्ताक्षर होने की बात की गयी। हालांकि सात सांसदों के हस्ताक्षर अमान्य होने के बावजूद सांसदों का समर्थन था, क्योंकि महाभियोग के लिए 50 से ज्यादा सांसदों के ही हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई भी फैसला सभापति के विवेकाधीन होता है।

पृष्ठभूमि

न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग का इतिहासः मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाए जाने से पहले अब तक सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के लिए इसे नहीं लाया गया था। देश के न्यायिक इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले अन्य न्यायाधीश-

1. **जस्टिस वी. रामास्वामीः** आजाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्यवाही 1991 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज वी. रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाला पहले जस्टिस थे। उनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया था। उनके खिलाफ 1990 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिये महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था।
2. **जस्टिस सौमित्र सेनः** साल 2011 में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव राज्यसभा सदस्यों ने पेश किया था। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस शुरू होने से पहले ही 1 सितंबर, 2011 को अपना इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति को भेजे अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा था कि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के दोषी नहीं है।
3. **जस्टिस पीडी दिनाकरणः** इस लिस्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस पीडी दिनाकरण का भी नाम शामिल है। उनपर पद का दुरुपयोग करके जमीन हथियाने और बेशुमार संपत्ति अर्जित करने जैसे आरोप लगे थे। इस मामले में भी राज्यसभा के ही सदस्यों ने उन्हें पद से हटाने के लिए कार्यवाही के लिए याचिका दी थी। मामले में काफी दांव-पेंच अपनाए गए, जिसके बाद जनवरी, 2010 में गठित जांच समिति के एक आदेश को जस्टिस दिनाकरण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन उन्होंने भी कार्यवाही पूरी होने से पहले ही 29 जुलाई, 2011 को पद से इस्तीफा दे दिया।
4. **जस्टिस एसके गंगलेः** 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एस. के. गंगले के खिलाफ राज्यसभा के सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस सभापति को दिया था। उन पर साल 2015 में एक महिला न्यायाधीश के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। जस्टिस गंगले ने इस्तीफा देने की बजाय जांच का सामना करना उचित समझा। दो साल तक चली जांच में उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं हुआ और इसके साथ महाभियोग प्रस्ताव सदन में पेश नहीं हुआ।

5. **जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डीः** तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ भी महाभियोग की कार्यवाही के लिए राज्यसभा में प्रतिवेदन दिया गया।
6. **जस्टिस जेबी पार्दीवालाः** गुजरात हाईकोर्ट के जस्टसि जेबी पार्दीवाला के खिलाफ भी महाभियोग की कार्यवाही के लिए राज्यसभा में प्रतिवेदन दिए गए। जस्टिस पार्दीवाला के खिलाफ उनके 18 दिसंबर, 2015 के एक फैसले में आरक्षण के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर यह प्रस्ताव दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के पांच आरोप

इनमे पहला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ आरोपों की जानकारी होते हुए भी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सीबीआई को कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं दी। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी नाराजगी है। तथा बैक डेटिंग के आरोप भी उनपर लगे हैं क्योंकि 6 नवंबर का नोट जस्टिस चेलमेश्वर के समक्ष सुनवाई के लिये 9 नवंबर को लाया गया था। तीसरा, मुख्य न्यायाधीश जब वकील थे तब उन्होंने गलत हलफनामा दायर कर जमीन हासिल की। 1985 में जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया, लेकिन दीपक मिश्रा जब 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में आए तब उन्होंने जमीन लौटाई। चौथा, मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने मास्टर ऑफ रोस्टर के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संवेदनशील मामलों को सुनवाई के लिये विशेष पीठों को सौंपा। और पांचवां, सर्वोच्च न्यायालय के चार जजों को मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली पर सवाल उठाए और चार जजों की चिंताओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है।

न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया

भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि, उसके अनुच्छेद- 124 (4) के तहत संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कदाचार और अक्षमता का आरोप साबित होने पर न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। हाई कोर्ट के किसी न्यायधीश को भी इसी प्रक्रिया द्वारा हटाने की बात (अनुच्छेद-217-बी) कही गई है। न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का विशेष उल्लेख न्यायाधीश जांच अधिनियम-1968 में किया गया है।

सांसदों की सहमतिः न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सभा के कम से कम 50 और लोक सभा के 100 सांसदों की सहमति जरूरी है। ताजा मामले में कांग्रेस ने राज्य सभा के 71 सांसदों की सहमति की बात कही है। हालांकि, इनमें से सात का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद भी तय से ज्यादा सांसदों की संख्या को देखते हुए सदन के सभापति द्वारा इससे जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तय माना जा रहा है।

जांच समितिः महाभियोग प्रस्ताव पर सभापति (राज्य सभा) या अध्यक्ष (लोक सभा) द्वारा मंजूर किए जाने के बाद संबंधित न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाती है। इसमें सदस्य के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश और न्यायिक मामलों के एक प्रतिष्ठित जानकार को शामिल किया जाता है। चूंकि, इस मामले में आरोपित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही हैं, इसलिए पहले सदस्य के तौर पर शीर्ष अदालत के किसी अन्य न्यायाधीश को समिति में शामिल किया जाना तय है। यह जांच समिति आरोपित न्यायाधीश को तय वक्त में अपना पक्ष लिखित रूप से सामने रखने देने का मौका देगी।

इस अधिनियम के मुताबिक यदि इस प्रस्ताव का नोटिस दोनों सदनों को एक साथ दिया जाए तो कोई जांच समिति तब तक गठित नहीं की जाएगी जब तक दोनों द्वारा इसे मंजूर न कर लिया जाए। इसके अलावा ऐसी स्थिति में राज्य सभा सभापति और लोक सभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से समिति गठित की जाएगी। जांच समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर सभापति या अध्यक्ष या संयुक्त रूप से गठित होने की स्थिति में दोनों को एक साथ सौंपेगी। इसके बाद इसे जल्द से जल्द संसद के सामने रखा जाएगा।

जांच समिति की रिपोर्ट पर संसदीय कार्यवाहीः जांच समिति की रिपोर्ट में आरोपित न्यायाधीश को किसी कदाचार का दोषी या पद के लिए असमर्थ नहीं पाए जाने पर इस मामले को खारिज कर दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी ओर, समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर इस प्रस्ताव को दोनों सदनों में मतदान के लिए रखा जाता है। इसे राज्य सभा और लोक सभा में कुल सदस्यों के बहुमत और मतदान में हिस्सा लेने वाले सांसदों के दो-तिहाई वोट (विशेष बहुमत) से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा पारित प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद दोषी न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ता है। दूसरी ओर, सदनों में इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत न मिलने पर इसे खारिज माना जाता है।

निष्कर्ष

भारतीय न्यायपालिका के काम करने के तरीकों में जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायपालिका हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका दोनों से ही स्वतंत्र है और एक सार्वजनिक तथा खुली न्यायिक प्रणाली के तहत जवाबदेह है। भारत में आज तक उच्च न्यायपालिका के किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि यह प्रकिया इतनी जटिल है कि कभी कार्यवाही पूरी ही नहीं हो सकी। देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने के बाद सोशल मीडिया सहित अन्य साधनों में जिस तरह से तर्क-कुतर्क किये जा रहे हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारा सामाजिक विमर्श रास्ता भटक गया है। किसी भी जाग्रत लोकतंत्र में सवाल उठने लाजिमी हैं। कभी-कभी कुछ आरोप भी लग सकते हैं। कुछ गलतफहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं, पर बदनीयती न हो, तो उन पर आसानी से पार पाया जा सकता है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय की साख बचाने और इसके आड़े आने वाली गलतियों को ठीक करना है। साथ ही, यह भी उतना ही सच है कि इसकी भीतरी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने का काम सरकार या विपक्ष की दखलंदाजी से नहीं, अंततः न्यायमूर्तियों की आपसी समझदारी से ही हो पाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

■

4. नये भारत के लिए सॉफ्ट पावर नीति की आवश्यकता

संदर्भ

अक्सर कहा जाता है कि भारत धीरे-धीरे एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हमेशा विशेषज्ञों द्वारा समाचार पत्रों में कहा जाता है कि अब वह समय आ गया है जब भारत को विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और जो विश्व की बड़ी शक्तियाँ हैं उनके बीच भारत को एक संतुलन बनाने वाले की भूमिका में काम करना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हिंदमहासागर के क्षेत्र में भारत को सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करना चाहिए। ये सभी बातें भारत के विषय में वर्तमान में अक्सर बोली जाती हैं। अतः इस लेख में इन्हीं बातों का विश्लेषण किया गया है कि क्या ऐसा करने का यह सही समय है।

क्या है सॉफ्ट पावर

सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसमें आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किये बिना अन्य राज्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। सॉफ्ट पावर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ न्ये द्वारा विकसित किया गया था।

सॉफ्ट पावर कूटनीति के लोकप्रिय होने के कारण

सॉफ्ट पावर की नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे यह संबंधों को मजबूत कर विकास में योगदान करती है जबकि हार्डपावर नीति में एक तरफा कार्रवाई, सैन्य क्षमता को बढ़ाना जैसे कदमों के कारण यह अत्यधिक महँगी, कठिन एवं चुनौतिपूर्ण हो गई है। हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर नीति में संसाधनों का प्रयोग लागत प्रभावी तरीके से हो सकता है। डिजिटल क्रांति के वर्तमान युग में राज्यों के बीच संपर्क एवं सद्भाव का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में सॉफ्ट पावर रणनीतियाँ उचित है।

सॉफ्ट पावर के रूप में भारत

भारत सदैव सॉफ्ट पावर नीति का समर्थक रहा है एवं अपनी सॉफ्ट पावर नीति के माध्यम से ही विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। भारत की सॉफ्ट पावर नीति के उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- भारत की आध्यात्मिकता, योग, दर्शन, धर्म आदि के साथ-साथ अहिंसा, लोकतांत्रिक विचारों आदि ने वैश्विक समुदाय को आकर्षित किया है।
- भारत के पास संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, चिकित्सा आदि की व्यापक सांस्कृतिक विरासत है जिसने अनेक देशों को प्रभावित किया है।
- भारतीय सिनेमा ने लंबे समय तक एशिया, अफ्रिका और अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है।
- भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक भागीदारी ने भारत की सॉफ्ट पावर छवि को मजबूत किया।
- भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित सार्क सेटेलाइट भी भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का हिस्सा है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र के 'शांति अभियानों' में अपने सैनिक भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।

भारत अपने सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश बढ़ाकर, पर्यटन, सिनेमा, खेल, कला-संस्कृति आदि को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पावर की छवि को ओर मजबूत कर सकता है। फिर भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सॉफ्ट पावर एवं हाईपावर का उचित समन्वय ही किसी देश को कूटनीतिक बढ़त दिला सकता है।

नेहरू जी का दृष्टिकोंण

आजादी के उपरांत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इस बात को लेकर सहमत थे कि भारत आगे विश्व राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएगा इसीलिए नेहरू ने हमेशा डिप्लोमेसी पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन उस अनुपात में सेना और अर्थव्यवस्था रूपी हार्डपावर पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया। ज्ञातव्य हो कि डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब आप आर्थिक और सैन्य रूप से काफी मजबूत हों। जब आपकी आर्मी मजबूत है, जब आपके पास हार्डपावर काफी ज्यादा है तभी दूसरे देश आपकी बात सुनेंगे और यदि आपकी न तो सैन्य शक्ति मजबूत है और ना ही आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है तब आपकी डिप्लोमेसी ठीक तरह से कारगर नहीं हो सकेगी और न ही आपका प्रभाव उतना हो सकेगा कि आप दो देशों के मध्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकें। जबकि जवाहर लाल नेहरू को लगता था कि हमने जो आजादी प्राप्त की है वह हमने अहिंसक तरीकों से प्राप्त की है तो इसलिए हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है। अतः इससे हम सम्पूर्ण विश्व में विश्व नेता का किरदार निभाएंगे और इसीलिए 1948 में नेहरू जी ने घोषित कर दिया कि, भारत विश्व राजनीति में चौथा या पाँचवाँ प्रभावकारी देश का स्थान रखता है। लेकिन नेहरू का यह दावा बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था क्योंकि एक साल पहले ही 'यूएन' की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए वोटिंग हुई थी तो यूक्रेन को हमसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे तो फिर नेहरू ने इस प्रकार का दावा क्यों किया कि भारत सम्पूर्ण विश्व में चौथा या पाँचवाँ प्रभावकारी देश है?

हालांकि हमारी विदेश नीति शुरूआत में बहुत ज्यादा आदर्शवादी थी हम कश्मीर का उदाहरण देख सकते हैं। हमने चाइना का समर्थन किया था UN सिक्योरिटी काउंसिल की स्थाई सीट के लिए इसके अलावा चाइना ने जो दावा तिब्बत पर किया था उसको भी हमने माना। अतः हम यह कह सकते हैं कि आजादी के शुरूआती परिस्थितियों में हमारी विदेश नीति बहुत ज्यादा आदर्शवादी थी। लेकिन जैसे-जैसे हमें चुनौतियाँ मिलती गईं वैसे-वैसे हमने भी सीख लिया कि आदर्शवादी राजनीति से कोई फायदा नहीं होता।

स्थिति और जिम्मेदारी

वर्तमान समय में हमारी विदेश नीति अब उतनी आदर्शवादी नहीं रही है। लेकिन एक बात हमारे राजनेताओं को सोचनी होगी कि हम क्यों चाहते हैं कि विश्व राजनीति में भारत एक बड़ी भूमिका (किरदार) निभाए? हम क्यों चाहते हैं कि भारत विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच संतुलनकारी शक्ति का काम करे? हम क्यों चाहते हैं कि भारत एक सुरक्षा प्रदाता का काम करे? इन सब से हमें क्या फायदा होगा? बार-बार यही बातें क्यों बोली जाती हैं। दरअसल ये बातें इसलिए बोली जाती है, और हमारे राजनेता इस प्रकार की बातें इसलिए कहते हैं कि वे जनता का वोट प्राप्त कर सकें। वे जनता को अक्सर खुशफहमी में रखना चाहते हैं इसलिए वह कहते हैं कि हमने भारत की प्रतिष्ठा विश्व राजनीति में बढ़ा दी है। और जनता भी हमारे देश के अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के बारे में यह बात कहती रही है कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश कि प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की प्रतिष्ठा घटी इत्यादि। ये सब वोट कि राजनीति का हिस्सा है।

हमारे राजनेताओं को यह बात समझने की आवश्यकता है कि विश्व राजनीतिक में अगर भारत

को बड़ा किरदार निभाना है तो बड़ी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। ऐसे कार्य करने होंगे जो शायद हम नहीं करना चाहेंगे। हम संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं। यूएसए विश्व राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहा है वर्तमान में अमेरिका को सीरिया में भी एक जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। अफगानिस्तान में भी अमेरिका एक जिम्मेदारी निभा रहा है। विश्व के अलग-अलग हिस्सों में अमेरिका वैश्विक बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहा है। क्या भारत इस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार है? कभी भी नहीं। अमेरिका भारत को अक्सर कहता रहता है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजे लेकिन भारत कभी भी अपनी सेना नहीं भेजना चाहेगा, तो जब तक आप रिस्पाँसिबिलिटी (उत्तरदायित्व) नहीं लोगे तब तक आप वैश्विक राजनीति में बड़ा किरदार नहीं निभा पाओगे।

लेकिन यह बात भी सच है कि भारत को उत्तरदायित्व लेने का कोई फायदा नहीं है। यदि भारत अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजता है तो इससे भारत को कोई भी फायदा नहीं है; और अफगानिस्तान को तो 'भूत का घर' कहा जाता है।

कोई भी अपनी सेना वहाँ भेजता है उसे वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। यूएसएसआर ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी थी और यही कारण एक बड़ी वजह बना था यूएसएसआर के विघटन का। अमेरिका ने भी अपनी सेना भेजी अफगानिस्तान में लेकिन अब अमेरिका को भी निकलना मुश्किल हो रहा है तो भारत क्यों अपनी सेना वहाँ भेजे। अतः कहने का मतलब साफ है भारत को वैश्विक नेता की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने का फायदा ही नहीं तो भारत क्यों बड़ी भूमिका निभाने के बारे में सोच रहा है। अतः हमें यह समझ लेना चाहिए कि भारत को बार-बार वैश्विक भूमिका निभाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

अन्य उदाहरण

- क्या अमेरिका अभी जैसी भूमिका सीरिया में निभा रहा है क्या भारत ऐसा निभा पाएगा।
- अमेरिका ने जो 1953 में ईरान में किया था क्या भारत वैसा कर पाएगा। अमेरिका ने 1953 में सीआईए के द्वारा ऑपरेशन करा कर वहाँ पर अपने फायदे के लिए सार डेनेस्टी को स्थापित कराया था। क्या भारत इस प्रकार की भूमिका निभा सकता है? इसके अलावा जैसे अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था क्या वैसा भारत कर पाएगा? निश्चित तौर पर भारत ऐसा कार्य नहीं कर सकता और न ही भारत के हित में है ऐसा करना। इसलिए कोई फायदा नहीं है इस प्रकार की बातें करने का कि भारत को एक बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। विश्व राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाने पड़ेंगे और भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है।

क्षेत्रीय आकांक्षा

ये भी कहा जाता है कि यदि भारत वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता तो कोई बात नहीं परंतु भारत को क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हमारे पड़ोसी देशों में लगभग सभी को यह ऐहसास है कि साउथ एशियन रीजन में भारत का प्रभुत्व काफी प्रभावशाली है। अभी हाल ही में मालद्वीव में जो संकट आया था तो बहुत सारे पश्चिमी देशों ने भारत को कहा था कि आप साउथ एशियन रीजन के नेता हो आपको मालद्वीव में हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ पर आपको स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन भारत ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत ने यह समझा कि मालद्वीव में फिलहाल हस्तक्षेप करना सही नहीं है। क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा ऐसी रही कि पड़ोसी देशों पर शक्ति का इस्तेमाल न करना और अहस्तक्षेप की नीति को अपनाना। हालांकि कुछ मौकों पर हमने हस्तक्षेप किया है।

जैसे श्रीलंका में हमने शांति सेना भेजी थी और सेसेल्स और मालद्वीव में भी हमने हस्तक्षेप किया था। लेकिन इन हस्तक्षेपों के दूसरे कारण थे और अगर हम पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप न करते तो हालात काबू से बाहर हो जाते। श्रीलंका में भारत ने जब शांति सेना भेजी तो उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए हमारे प्रधानमंत्री को भी अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी इसलिए पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप का कोई फायदा नहीं है। श्रीलंका में हमने इसलिए हस्तक्षेप किया कि हमारे हितों को प्रभावित किया जा रहा था। उस समय श्रीलंका से बहुत सारे रिफ्यूजी भारत में आ रहे थे। हमने श्रीलंका में इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया था कि इससे हम रीजनल लीडर के तौर पर स्थापित हो जाएंगे और इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

आगे की राह

भारत जब दूसरे देशों से समझौता करे तो हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हमारे देश की गरीबी को कैसे दूर किया जाए इस लक्ष्य और इस विषय को लेकर भारत अपनी विदेश नीति को निर्धारित करे। भारत का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि बड़े देशों से तारीफ हासिल करे।

हमें इस खुशफहमी से बचना होगा कि USA ने हमारी तारीफ कर दी फ्रांस ने हमारी तारीफ कर दी इत्यादि। ये देश यदि आपकी तारीफ करेंगे तो अपना काम निकलवाने के लिए ही आपका इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे देश के विरूद्ध। अतः बड़े देशों के सतरंजी खेलों के बीच हमे फंसने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर बड़े देशों का मकसद अपना हथियार बेचना ही होता है और हमें सिर्फ अभी आवश्यकता है कि हम अपने आर्थिक विकास पर फोकस करें अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, अगर हमारे पास धन है तो हम खुद से अपने हथियार बना सकते हैं और तब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।

निष्कर्ष

ब्रजेश मिश्रा प्रधानमंत्री श्री अटल बाजपेयी के समय में सिक्योरिटी एडवाइजर थे इन्होंने कहा था कि 20 सालों तक भारत को न तो किसी को भड़काना (प्रवोक) चाहिए और न ही किसी से भड़कना (प्रवोक) चाहिए। भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए भारत का आर्थिक विकास, क्योंकि हमारे देश में गरीबी ज्यादा है और हमें अपने संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो गरीबी है उसको समाप्त करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं और अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज रहे हैं। ताकि हम विश्व राजनीति में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकें।

अक्सर दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स भारत का सम्मान करते हुए कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। एक राजनैतिक पार्टी आसानी से सत्ता छोड़ देती है और दूसरी राजनीतिक पार्टी उस सत्ता को संभाल लेती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं एशिया के जहाँ पर आर्मी (सेना) का शासन आ जाता है या विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हो जाता है। ऐसा भारत में नहीं होता है तो इससे पता चलता है कि भारत की सॉफ्ट पावर ज्यादा मजबूत है दूसरे देशों में भारत में विभिन्न धर्मों के सम्प्रदायों के लोग एक साथ मिलजुलकर रहते हैं। अतः भारत अधिक सहिष्णु देश है। इसीलिए भारत की इज्जत दूसरे देशों में ज्यादा है और यही हमारी धरोहर है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः हमें अपनी सॉफ्ट पावर के द्वारा ही अपनी विदेश नीति को मजबूत बनाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

5. सीरिया विवाद : विश्व शांति के लिए बढ़ता खतरा

चर्चा का कारण

हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक विद्रोहियों के कब्जे वाले "घौटा" इलाके में राष्ट्रपति असद की सेना द्वारा किए गए रासायनिक हमले में 70 नागरिकों की मौत हो गई इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी। ट्रंप के घोषणा के अनुरूप अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर हमला कर दिया, सीरिया में स्थित रासायनिक हथियारों के भंडारों को नष्ट करने के लिए कुल 105 मिसाइलें दागी गईं। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, तीन साथी देशों ने बर्बरता और क्रूरता के खिलाफ कदम उठाया है। जबकि सीरिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। रूस, चीन और ईरान ने हमले पर विरोध जताया है, तो सऊदी अरब और तुर्की समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस कार्रवाई का समर्थ किया है। अमेरिका और मित्र देशों के इस हमले ने सीरिया को लेकर दुनिया में तनाव और बढ़ा दिया है। विश्व दो खेमों में बंटता दिख रहा है जिसमें एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस हैं तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान। सीरिया द्वारा रासानिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका ने पहले ही सीरिया सरकार को चेतावनी दी थी।

पृष्ठभूमि

सीरिया संकट की शुरूआत वर्ष 2011 के अरब स्प्रिंग से हुई थी, वर्ष 2011 में सीरिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत 26 जनवरी को हसन अली नामक व्यक्ति के असद सरकार के विरोध में आत्मदाह से हुई थी। फरवरी 2011 में सोशल नेटवर्किंग साइटों के द्वारा असद सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हुआ तथा लोकतंत्र का गढ़ कहा जाने वाला दारा शहर सुलग उठा। लोगों में राजनीतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इत्यादि मुद्दों को लेकर असद सरकार के प्रति असंतोष था। उसके बाद तो दमिश्क, अलहस्का और डेरहामा में सेना और प्रदर्शनकारियों में खूब टकराव हुआ। हालात बदतर होने पर असद सरकार ने अप्रैल 2011 में आपातकाल लागू कर दिया। साथ ही उससने आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूरता का सहारा लिया। एवं सीरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ 8 साल पहले शुरु हुई शांतिपूर्ण बगावत पूरी तरह से गृहयुद्ध में बदल चुकी है। इसमें कम से कम 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। विरोधियों ने हथियार उठा लिए, सैकड़ों विद्रोही गुटों ने समानांतर व्यवस्था स्थापित कर ली ताकि सीरिया पर उनका नियंत्रण कायम हो सके। इस तरह 2012 तक सीरिया बुरी तरह से गृहयुद्ध में प्रवेश कर चुका था। 10 अप्रैल 2012 को जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सरकार और विद्रोहियों के बीच 13 माह से चल रहे गृहयुद्ध पर संघर्ष विराम की सहमति बनी, तो पूरी दुनिया को लगा कि सीरिया संकट समाप्त हो गया। परंतु 2013 में सीरिया द्वारा रासायनिक हमले से स्थिति फिर से बिगड़ गई। इसमें लगभग 1300 लोग मारे गए थे।

2017 में उत्तरी सीरिया के इदलिब प्रांत के खान शेखहुन में रासायनिक हमलों के बाद सैकड़ों लोग मारे गए। इसके जवाब में अमेरिका ने सीरिया के एयरबेस पर ताबड़तोड़ 59 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यहीं से रूस और अमेरिका के बीच अर्थात पुतिन एवं ट्रंप की दोस्ती, दुश्मनी में बदल गई। सीरिया सरकार के समर्थन के नाम पर रूस ने सीरिया में सैन्य अड्डा बना लिया, वहीं बशर के शिया होने तथा अधिकांश जनता के सुन्नी होने के कारण ईरान भी बशर समर्थकों के रूप में शामिल हो गया। प्रारंभ में ईरान के शिया लड़ाके हिजबुल्लाह, सीरिया-ईरान सीमा पर केवल निगरानी का काम करते थे, परंतु बाद में सीरिया, रूस के संयुक्त ऑपरशेन में भी हिजबुल्लाह की गतिविधियां तीव्र हो गईं। इसके अतिरिक्त इस समूह को तुर्की का भी साथ मिला।

सिरिया संकट के कारण

सीरिया में सिर्फ सत्ताधारी दल, विरोधी और आईएसआईएस ही नहीं लड़ रहे, केवल उनके ही हित दांव पर नहीं लगे हैं, बल्कि रूस और अमेरिका से लेकर अनेक पश्चिमी देशों की दिलचस्पी भी सीरिया युद्ध को लेकर है। रूस सीरिया के सत्ताधारी नेता का समर्थक है, जबकि पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो। उधर, आईएसआईएस पूरे सीरिया पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है।

1. साल 2000 में बशर को उनके पिता हाफेज अल असद की जगह देश का राष्ट्रपति बनाया गया लेकिन उनकी छवि एक तानाशाह के तौर पर सामने आने लगी।
2. सीरियाई युवाओं के बीच भारी बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई इसके अलावा हर तरफ बढ़ते भ्रष्टाचार ने लोगों को परेशान कर दिया। राष्ट्रपति बशर अल-असद, नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करने लगे।
3. अरब के कई देशों में सत्ता के खिलाफ शुरू हुई बगावत से प्रेरित होकर मार्च 2011 में सीरिया में लोगों ने लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार के बल प्रयोग के खिलाफ सीरिया में हर तरफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों ने बशर अल-असद से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी तथा विरोधियों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए।
4. साल 2012 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। देश के कई हिस्सों में कई गुटों ने समानांतर सरकार बना ली नतीजा कई इलाकों में विद्रोही असद की सेना को चुनौती देने लगे।
5. धीरे-धीरे सरकार और विद्रोहियों के बीच लड़ाई में दूसरे देश भी कूद पड़े। रूस और ईरान सीरिया की मदद के लिए सामने आ गए और दोनों देशों ने सीरिया को हथियार और पैसों से मदद की।
6. असद ने 2015 में विद्रोहियों के कब्जे से देश के कुछ हिस्सों को मुक्त कराने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। शांतिपूर्ण बगावत पूरी तरह से गृहयुद्ध में तब्दील हो गया। इसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
7. सीरिया में शिया और सुन्नी की लड़ाई भी सामने आ गई तथा धीरे-धीरे सरकार विरोधी लड़ाई ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। सुन्नी बहुल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद शिया हैं। शिया बहुल देश ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसने सीरिया में अरबों डॉलर खर्च कर असद सरकार को बचाने में मदद की है।
8. इस बीच इस्लामिक स्टेट ने उत्तरी और पूर्वी सीरिया के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ईरान, लेबनान, इराक, अफगानिस्तान और यमन से हजारों की संख्या में शिया लड़ाके सीरियाई आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए पहुंचे ताकि उनके पवित्र जगह की रक्षा की जा सके।
9. गृह युद्ध के चलते सीरिया खंडहर में तब्दील हो गया। हजारों लोग शरणार्थी बन कर यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में शरण ले चुके हैं।

10. इस दौरान सीरिया में अब तक 5 बार केमिकल अटैक हुए हैं। पिछले साल 58 लोगों की मौत हुई और फिर इसी महीने एक बार फिर से केमिकल अटैक में कई लोग मारे गए। अमेरिका ने 2017 के अटैक में टॉमहॉक मिसाइल से सीरिया के एयरबेस रनवे को तहस-नहस कर दिया था।वर्तमान में भी 7 अप्रैल,2018 को हुए रासायनिक हमले में 70 से ज्यादा लोग मारे गए।

वर्तमान परिदृश्य

मध्य -पूर्व का देश सीरिया इन दिनों जंग का अड्डा बन गया है। पिछले करीब सात-आठ साल से युद्ध की आग में झुलस रहे इस देश में मानवीय संकट भी मुंह बाए खड़ा है, जहां अब तक करीब पांच लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 50 लाख से अधिक की आबादी विस्थाापन झेलने को मजबूर हो गई। अब सीरिया, रूस और अमेरिका के बीच एक नए किस्म के तनाव का केंद्र भी बन गया है, जिसे संयुक्त, राष्ट्र ने 'शीतयुद्ध का नया दौर' करार दिया है। रूस और अमेरिका ही नहीं, सीरिया के मुद्दे पर उसके पड़ोसी देशों ब्रिटेन व फ्रांस की भी नजर है। साफ है कि गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया में विभिन्न देशों के अपने-अपने हित हैं।

रूस के हित: सीरिया संकट में रूस शुरू से ही असद सरकार के साथ रहा है। दरअसल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर अपने देश को अमेरिका के समकक्ष शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। यदि अमेरिका असद सरकार को अपदस्थ करने में कामयाब होता है तो यह पुतिन की बड़ी हार होगी और रूस में उनकी स्थिति कमजोर होगी। रूस ने असद सरकार के सशस्त्र बलों को हथियार भी मुहैया कराए हैं।

अमेरिका के हित: सीरिया संकट को लेकर अमेरिका का रुख बिल्कुल साफ है। वह देश में जारी संकट के लिए असद सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाला अमेरिका विश्व शक्ति का तथाकथित ताज किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अमेरिका शुरू से ही वहां विद्रोहियों के साथ रहा है। वह सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के सफाये के नाम पर सरकारी सशस्त्र बलों को निशाना बनाता रहा है। अमेरिका पश्चिम एशिया में रूस और ईरान के बढ़ते प्रभाव से भी परेशान है और यही वजह है कि सीरिया में उसकी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है।

ईरान के हित: ईरान शिया बहुल देश है, जिसकी सऊदी अरब से वर्चस्व की लड़ाई है। इजराइल के साथ भी उसके रिश्ते तल्ख हैं। इसलिए वह नहीं चाहता कि सीरिया में शिया सरकार का पतन हो। अपने इन्हीं हितों को सुनिश्चित रखने के लिए वह असद सरकार के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ हथियार भी मुहैया करा रहा है। ईरान को यह भी डर है कि यदि अमेरिका, सीरिया में कामयाब हो जाता है तो अमेरिकी गठबंधन का अगला निशाना वह बन सकता है।

इजराइल के हित: इजराइल हालांकि काफी समय तक सीरिया संकट से दूर रहा, लेकिन सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव की वजह से उसे डर है कि अगर सीरिया में ईरान सफल हो जाता है तो लेबनान में उसके सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्ला को मजबूती मिल सकती है। इसलिए वह सीरिया के मुद्दे पर करीब से नजर बनाए हुए है।

ब्रिटेन की भूमिका: ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ है और इसलिए इस मसले पर अमेरिका के साथ है। वह सीरिया में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका का साथ दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य होने के नाते भी वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे में अपनी मजबूत भूमिका देख रहा है। ब्रिटेन पुतिन के नेतृत्व में रूस के उभरते वर्चस्व को भी स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

फ्रांस का रुख: फ्रांस हमेशा से रासायनिक हथियारों के विरोध में रहा है। इसके अलावे आतंकवादियों से उसे सीधा खतरा रहा है। फ्रांस विगत वर्षों में कई आतंकी हमले झेल चुका है, जिसके पीछे इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आई। इसके अतिरिक्त, फ्रांस भी दुनिया की पांच महाशक्तियों में शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य है। ऐसे में एक वैश्विक महाशक्ति के तौर पर ऐसे अभियानों में उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है।

सऊदी अरब की भूमिका: सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है। वह अरब जगत में सुन्नी देशों के अगुवा बनने और खुद को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। शिया बहुल राष्ट्र ईरान से उसकी सीधी टक्कर है। सीरिया के राष्ट्रपति असद भी शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। शिया-सुन्नी के इसी टकराव में सऊदी अरब, सीरिया में असद सरकार का तख्तापलट कर वहां अपने समर्थन वाली सरकार को सत्ता में बिठाना चाहता है।

तुर्की: सीरिया की हर हलचल का असर तुर्की में दिखता है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं एक-दूसरे से जुड़ी हैं। तुर्की, सीरिया की असद सरकार को पसंद नहीं करता। वह इस्लामिक स्टेट को लेकर भी बेहद सख्त है। उसे यह भी डर है कि उसकी सीमा से लगे सीरियाई इलाके में कुर्द लड़ाके मजबूत हो सकते हैं।

सीरिया संकट पर भारत का रुख: सीरिया पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर हवाई हमला करने के बाद दुनियाभर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। चीन के बाद अब भारत ने भी सीरिया में बढ़ते विवाद को शांति से निपटाने के लिए आग्रह किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीरिया अटैक पर कहा कि हम सभी दलों से आग्रह करते हैं कि वे संयम दिखाएं और स्थिति को आगे बढ़ाने से बचें। यह मुद्दा बातचीत, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए। अगर केमिकल अटैक सच है, तो यह दुखद है। हम ओपीसीडब्ल्यू (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए आग्रह करते हैं। इससे पहले चीन ने भी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए आग्रह किया था। चूँकि भारत का रूस और अमेरिका के साथ जितने अच्छे संबंध हैं उतना ही खाड़ी के देशों के साथ। ऐसे में भारत को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के तहत किसी समूह में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि मानवीयता के आधार पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ सीरिया सरकार पर दबाव डालना चाहिए ताकी सीरिया में हालत सामान्य हो सके।

सीरिया संकट का प्रभाव

- पश्चिम एशिया का यह देश दो महाशक्तियों की शक्ति स्पर्धा में पिस रहा है।
- सीरियाई अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। इसके पुनर्निर्माण में काफी वक्त लगेगा सीरियाई संकट ने मानवाधिकार के मुद्दे को भी खड़ा कर दिया है।
- सीरिया का युद्ध एक छद्म युद्ध है, जिसमें समय के साथ कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जुड़ गयी हैं।
- तेल की कीमत में करीब 8 फीसदी का उछाल आया। ध्यान रहे कि अपने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है। क्रूड की कीमत और बढ़ती है तो यहां भी पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ना तय है।
- लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध की वजह से सीरियाई शरणार्थी बुरी तरह परेशान है। ज्यादातर नागरिकों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।

- फरवरी 2018 तक, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) ने सीरिया से करीब 5.5 मिलियन शरणार्थियों को पंजीकृत किया था और अनुमान लगाया था कि सीरिया की सीमाओं में 6.5 मिलियन आंतरिक विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) हैं।
- लेबनान, तुर्की और जॉर्डन में अधिकतर सीरियाई शरणार्थी रहने को मजबूर हैं। सीरियाई गृहयुद्ध के बाद देश का पुन:निर्माण करना काफी मुश्किल व लंबा समय लगने वाला काम है।
- अमेरिका और रूस के बीच तनातनी दुनिया को परमाणु जंग की आशंका से ग्रस्त करने के लिए काफी है।
- सीरिया में अमेरिकी मिसाइल हमले से भारत पर तत्काल असर भले ही न पड़े लेकिन युद्ध लंबा खिंचने से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने इस हमले पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। जानकारों का मानना है कि भारत शायद ही किसी भी पक्ष के साथ खड़ा होते दिखना चाहेगा। पूरे मामले पर सोच समझ कर ही भारत अपने कदम उठाएगा। भारत ने आंतरिक तौर पर सीरिया में उत्पन्न हालात के असर की समीक्षा शुरू कर दी है। युद्ध की स्थिति बन जाने से यातायात प्रभावित होगा। भारत पर दूसरा बड़ा असर इसके निर्यात क्षेत्र पर पड़ सकता है। लंबे युद्ध से खाड़ी के देशों में अनिश्चितता पैदा होगी। ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले भारतीयों को स्वदेश लौटना पड़ेगा। ऐसी स्थिति का सामना भारत पहले कर चुका है। भारत को खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लंबा अभियान चलाना पड़ा था। सरकार को हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से तैयार रहना होगा।
- इंटरनेशनल ऑइल एजेंसी (आईईए) ने भी एक बयान में कहा है कि तेल की सप्लाई में कमी आने से बाजार में इसकी कीमत बढ़ेंगी।

आगे की राह

- बाहरी शक्तियाँ जो सिरियन गृह युद्ध में छद्म युद्ध को अंजाम दे रहीं हैं, उनको अपने निर्णय पर फिर विचार करना चाहिए। और मानवता के आधार पर तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करना चाहिए। इन देशों को चाहिए की इस संकट को प्रजातांत्रिक आन्दोलन में बदलें साथ ही इस तरह के रासायनिक हमले की निंदा की जानी चाहिए, और इस क्षेत्र में किसी भी अतिवादी समूह को वित्तीय सहायता नहीं की जानी चाहिए।
- दो महाशक्तियों यूएस और रूस को शीत युद्ध दुहराने के बजाए सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए काम करना होगा साथ ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को स्थापित करने में मदद करना होगा।
- सीरिया सरकार को भी खुलकर गैर जिहादी-विपक्षी समूहों से बात करने के लिए आगे आना होगा।
- सीरिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है लाखों लोगों ने अपनी जान गवाई है, करीब डेढ़ लाख बच्चे अपंग हुए हैं, लगभग पचास लाख लोग विस्थापित हुए हैं ऐसे में सीरिया का पुनर्निर्माण एक वैश्विक चुनौती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को मदद के लिए आगे आना होगा जिससे युद्ध की स्थिति को सामान्य बनाया जा सके, भारत भी इस क्षेत्र में शांती और स्थिरता के लिए एक रचनात्मक मानवीयता की भूमिका निभा सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

■

6. शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों का उपचार : ऑपरेशन ग्रीन

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने कहा कि वह कृषि ऊपज की अधिक पैदावार की स्थिति में जल्दी खराब होने की संभावना वाले टमाटर, आलू और प्याज जैसे कृषि जिंसों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेगी। इन जिंसों की कमी की स्थिति के दौरान इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बार के बजट में घोषित नई योजना 'आपरेशन ग्रीन' के बारे में अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगी।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इस नई योजना की रूपरेखा को विभिन्न अंशधारकों के साथ विचार विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। बादल ने कहा, हम आपूर्ति श्रृंखला को अच्छी तरह से परस्पर संबद्ध करने तथा आलू, प्याज और टमाटर के प्राकृतिक संरक्षण के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचा निर्मित करने की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। योजना के तहत कृषि उपस्कर प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण सचिव जे पी मीना ने कहा कि इस योजना के मूल तत्वों के ज्यादा से ज्यादा अप्रैल के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश भर में सब्जी उत्पादन संकुलों का मानचित्रण कर लिया गया है और वहां खेत खलिहान से लेकर बाजार के बीच मूल्यवर्धन की कड़ियों की आवश्यकता को पूरा करने की जरूरत है ताकि किसानों की उत्पादक इकाईयाँ (एफपीओ) उसका फायदा उठा सकें। आपरेशन ग्रीन वर्ष 1966 में शुरू किए गए आपरेशन फ्लड को समान ही है। आपरेशन फ्लड सरकार का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था।

ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है?

श्वेत क्रांति को अभूतपूर्व सफलता के बाद वर्तमान सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन की शुरूआत की है इसमें मुख्य रूप से टमाटर, प्याज और आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों को शामिल किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू जैसी फसलों को उसकी खेती से लेकर रसोईघर तक की आपूर्ति श्रृंखला को संयोजित करना है। इसमें कृषि मंत्रालय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की भूमिका अहम है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत जहाँ एक ओर किसानों को प्रोत्साहित करना है तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इन जिंसों की साल भर उपलब्धता बनाए रखने की चुनौती से

निपटना है। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा इस क्षेत्र के व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली किसान उत्पादक कंपनियों को होने वाले लाभों के संदर्भ में 5 वर्ष की अवधि तक 100 प्रतिशत तक कटौती की घोषणा की है। "ऑपरेशन ग्रीन्स" के लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना की आवश्यकता क्यों?

रसोईघर की प्रमुख सब्जियों में शुमार इन कृषि उत्पादों की खेती आमतौर पर देश के छोटे एवं मझोले स्तर के किसान ज्यादा करते हैं। यही वजह है कि अगर पैदावार अधिक होती है तो मूल्य घट जाता है जिससे इन किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है। इसके विपरीत इन जिंसों की पैदावार घटी तो पूरे देश में हायतौबा मच जाती है। ऐसे में किसान दोनों तरफ से मारा जाता है। इसलिए सरकार जब इनके मूल्यों को स्थिर कर देगी तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

- ऑपरेशन ग्रीन के तहत किसानों को इनकी खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।
- भारत में कभी प्याज के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है तो कभी आलू के मूल्यों में। वृद्धि होने से बिचौलिए इन सब्जियों को स्टोर कर लेते हैं जिससे बाजार में इन सब्जियों की आपूर्ति बाधित हो जाती है और उपभोक्ता भी परेशान हो जाता है। इसलिए सरकार ने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इन जिंसों की सालभर उपलब्धता बनाए रखने के लिए इस योजना की शुरूआत की है।
- चूंकि सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करने की सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि इस योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को प्रोत्साहन, कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि कमी के दौरान संसाधनों के होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम करना है।
- इस योजना के माध्यम से देशभर में आलू, प्याज और टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में कलस्टर आधारित पूरी श्रृंखला विकसित की जाएगी, ताकि किसानों के उत्पादों के बाजार में आने के वक्त कीमतें न घटने पाएं और समय रहते उनका भंडारण उचित माध्यमों से किया जा सके।
- ऑपरेशन ग्रीन के तहत इन प्रमुख सब्जियों की खेती में अग्रणी राज्यों के क्षेत्रों को चिंहित कर वहां बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा ताकि सीधे किसानों के खेतों से ही उत्पाद को बड़ी उपभोक्ता कंपनियाँ और खाद्य प्रसंस्करण करने वाली कंपनिया खरीद सकें। इसके तहत सरकार ने 22,000 हाट विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
- कृषि जिंसों पर डेढ़ गुना एमएसपीः कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि खेती की लागत पर लाभ का मार्जिन 50 प्रतिशत सुनिश्चित की गई है आगामी खरीफ से विभिन्न कृषि जिन्सों पर उसकी लागत के डेढ़ गुना के आधार पर एमएसपी की घोषणा की जाएगी। इससे किसान लाभान्वित होंगे।

सरकारी पहल

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना देश में सब्जी और फलों की खेती में क्रांति लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पांच सालों में एमएसपी को दोगुना करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए वैज्ञानिक कदम उठाए हैं।

ऑपरेशन ग्रीन के तहत 22000 हाट होंगी विकसित

केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कहा है कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत 22000 हाट विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब कृषि विपणन क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा और इससे ग्रामीण मंडियों को जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के तहत सभी 22000 हाट को संगठित खुदरा कृषि मंडियों में विकसित किया जाएगा जहां किसानों को छोटे-छोटे स्थान उपलब्ध कराये जाएंगे। इससे किसानों में बेहतर सौदेबाजी की क्षमता से मंडी में लेनदेन के लिए उन्हें संगठित किया जा सकेगा।

- **प्रत्यक्ष खरीद के लिए होंगी हाटः** किसान प्रत्यक्ष खरीद-बिक्री के लिए भी इन हाटों का उपयोग कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि आलू, प्याज, टमाटर जैसे उत्पाद एवं उनकी कीमतें कई बार चर्चा का विषय बन जाती हैं। इस बजट में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आलू, प्याज एवं टमाटर के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इसके लिए "आपरेशन ग्रीन" के तहत 500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- **कृषि जिंसों पर डेढ़ गुना एमएसपीः** कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि खेती की लागत पर लाभ का मार्जिन 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर विभिन्न विकल्पों एवं राज्यों में प्रचलित योजनाओं का अध्ययन और उपयुक्त खरीद तंत्र की सिफारिश करेंगे। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि आगामी खरीफ से विभिन्न कृषि जिन्सों पर उसकी लागत के डेढ़ गुणा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा होगी।
- **फसलों का मिलेगा उचित मूल्यः** कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर अनाज की खरीद के लिए केंद्र हर तरह से मदद करेगी। यह केन्द्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है। सिंह ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर किसी फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चली जाती है तब भी किसान को कीमतों में नुकसान का भुगतान प्राप्त हो सकेगा।" उन्होंने कहा, "नीति आयोग इस विषय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर विभिन्न विकल्पों एवं कुछ राज्यों में प्रचलित योजनाओं का अध्ययन करेगा और एक ढांचागत तंत्र की सिफारिश करेगा ताकि किसानों को उनके उत्पाद पर पर्याप्त कीमत प्राप्त हो सके।"

ऑपरेशन ग्रीन योजना से लाभ

देश में बढ़ते किसानों की आत्महत्या, तथा किसान आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ग्रीन योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना से किसानों को निम्नलिखित लाभ होगा-

- इस योजना से किसान कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित होंगे।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इन सब्जियों की सालभर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- इस योजना के तहत देशभर में इन सब्जियों के उत्पादन में कलस्टर आधारित व्यवस्था लागू होने से कलस्टर आधारित पूरी श्रृंखला विकसित होगी।

- किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।
- उपभोक्ताओं को महंगाई से निजात मिलेगी।
- 22,000 हाट विकसित होने से किसानों का सीधा संपर्क बड़ी उपभोक्ता कंपनियों, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से हो जाएगा जिससे बिचौलियों की समाप्ति होगी।
- कृषि का आधुनिकीकरण होगा तथा नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे साथ ही किसानों की आय बढ़ने से उनमें संपन्नता आएगी, किसानों की आत्महत्या में कमी सरकार के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ

- किसानों के लिए किसी फसल को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनकी मुश्किलें बाजार और उचित मूल्य न मिलने से होती हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना से संबंधित कुछ चुनौतियाँ निम्न हैं-
- देश में फिलहाल आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरों की स्थापना तो की गई है, लेकिन बाकी दोनों जिंसों टमाटर और प्याज के भंडारण का पुख्ता बंदोबस्त नहीं है अर्थात आधारभूत संरचना का अभाव है।
- केन्द्र से लेकर राज्य सरकारें तो मदद के लिए आगे आती हैं, लेकिन यह मुद्दा कई बार गंभीर राजनीतिक हो जाता है।
- बढ़ती आबादी और लोगों की माली हालत में सुधार होने से इन जिंसों की मांग में इजाफा हुआ है जिससे कभी-कभी अप्रत्याशित मांग में वृद्धि हो जाती है।
- शीघ्र खराब होने वाले इन सब्जियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से अभी नहीं जोड़ा जाना।
- मंडी कानून में संशोधान अभी तक न होना, तथा बिचौलियों की समाप्ति से संबंधित कानून का न होना आदि।
- वास्तव में उत्पादों को वास्तविक बाजार मुहैया कराना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना असल चुनौती है।
- फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों का संगठन न होना अर्थात किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) का न होना।
- भारी निवेश की कमी अर्थात लॉजिस्टिक सुविधाएं और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अधिक धन की जरूरत पड़ेगी।
- सबसे बड़ी समस्या ऑपरेशन ग्रीन में प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने खुदरा स्तर पर जोड़े जाने की है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना में सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन है तथा किसानों में जागरूकता की कमी।

आगे की राह

- आलू, प्याज, टमाटर जैसी दैनिक उपयोग की सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में सराहनीय कदम की शुरूआत की है जिसके तहत सरकार देश में 22000 हाट लगाएगी। हाट के साथ-साथ टमाटर तथा प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेजों के स्थापना की जरूरत है।
- इन सब्जियों की जरूरत हर छोटी-बड़ी रसोई घर में होती है इसलिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों को इस दिशा में मिलकर कार्य करना होगा साथ ही इस मुद्दे के राजनीतिकरण से बचना होगा।
- कभी-कभी अप्रत्याशित मांग के कारण भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो जिंस जिस राज्य में अधिक उत्पादित हो रहा हैं तो उसकी आपूर्ति दूसरे राज्य में सुनिश्चित करें। साथ ही सरकारी एजेंसियों को भी सक्रिय रखने की जरूरत है ताकि आढ़तियों और बिचौलियों के अनावश्यक डंपिंग को रोका जा सके।
- आलू, प्याज तथा टमाटर दैनिक घरेलु उपयोग की सब्जियां हैं जो शीघ्रता से खराब हो जाती हैं। ऐसे में इन सब्जियों को फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए जिससे इन जिंसों को अधिक लाभ मिल सके।
- इन जिंसों की मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मंडी कानून में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है साथ ही बिचौलियों की समाप्ति से संबंधित कानून भी बनने चाहिए।
- वास्तव में इन उत्पादों के लिए वास्तविक बाजार की व्यवस्था कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना होगा अर्थात किसानों को उनकी उपज के महानगर में मिल रहे मूल्य का 60 फीसदी मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर श्वेत क्रांति के बाद किसानों को उनके दूध का 75 फीसदी से अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है।
- फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाना होगा। साथ ही इन संगठनों की जिम्मेदारी भी निर्धारित होने चाहिए जिससे इन जिंसों को उत्पादक स्थल पर छटाई, भराई, ग्रेडिंग, वजन और पैकेजिंग के साथ बार कोड लगाकर उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुँचा जा सके।
- कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कानून को संशोधित करने की सख्त जरूरत है जिससे इन एफपीओ से निजी व सरकारी कंपनियों के साथ थोक उपभोक्ता अपनी खरीद कर सकेंगे। केन्द्र सरकार ने एफपीओ को सरकारी संस्थाओं की तर्ज पर अगले पांच सालों तक आयकर कानून से मुक्त करने की भी घोषणा की है।
- इस क्षेत्र में भारी निवेश की कमी है हालांकि सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवण्टित किए हैं जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए ना काफी है। इस दिशा में निवेश बढ़ने से लाजिस्टिक सुविधाएँ और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सकेंगें जिससे आलू, प्याज और टमाटर की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी।
- ऑपरेशन ग्रीन में प्रोसेसिंग उद्योग को प्रमुखता दी जाए और उसे खुदरा-स्तर पर जोड़ा जाना चाहिए। सुखाई गई प्याज, टमाटर की प्यूरी और आलू के चिप्स का प्रयोग बखूबी किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आलू, प्याज और टमाटर की अतिरिक्त पैदावार को लेकर प्रोसेस कर सकता है। इससे किसान और उद्योग दोनों को लाभ हो सकता है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना को सफल बनाने के लिए परंपरागत तकनीक का त्याग कर आधुनिक तकनीक के प्रयोग कर बल दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ किसान जागरूकता रैलियाँ, टेलीविजन, स्कूल, कॉलेज, सोशल मीडिया, किसानों से संबंधित मोबाइल एप के प्रति किसानों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

■

7. तटीय विनियमन क्षेत्र 2018 की सूक्ष्म पड़ताल

चर्चा का कारण

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय इलाकों में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के निर्धारण हेतु नयी अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। मरीन और तटीय विनियमन क्षेत्र' से संबंधित मसौदा शैलेश नायक समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इन क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को विनियमित करना है। मंत्रालय ने सीआरजेड अधिसूचना 2011 में बदलाव कर नये प्रावधानों के साथ सीआरजेड अधिसूचना 2018 का प्रस्तावित मसौदा 19 अप्रैल को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया था। मंत्रालय ने इस पर जनता से 60 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी हैं।

पृष्ठभूमि

पर्यावरण के प्रशासन की दृष्टि से तटीय पारिस्थितिकी एक विशेष चुनौती पेश करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से विकास को लेकर उनके प्रति गहरा आकर्षण है और बेहतर बुनियादी ढाँचे के साथ ही अन्य सुविधाएँ वहाँ मौजूद रहती हैं, इसके साथ ही समुद्री तट भूमि समुद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जिसके चलते ये क्षेत्र अत्यधिक अनिश्चित, जटिल और प्राकृतिक तथा मानव प्रक्रियाओं के लिए संवेदनशील होते हैं। पर्यावरण और आर्थिक मूल्यों के साथ ही व्यक्तिगत तथा सामुदायिक हित इनसे जुड़े होते हैं, जिसमें इसके संरक्षण या विकास के विकल्प नतीजों को तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अनेक प्रयोग करने वालों, आधुनिक और पारंपरिक मछुआरों, छोटी झोपड़ियों के मालिक तथा बड़े होटलवाले, बिजली संयंत्रों और पर्यटकों तथा निवासियों के लिए भूमि के इस्तेमाल हेतु तटीय क्षेत्र प्राप्त करने की स्पर्धा होती है और संसाधनों को लेकर टकराव होते हैं। इस स्थिति में ऐसी राजनीतिक हस्तियों का भी उदय होता है, जो इस टकराव से लाभ उठाने के अवसर की ताक में रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सी.आर.जेड. को 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसका नाम अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है) द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचित किया गया था।

इसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना था। लेकिन इसके साथ ही इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होता रहा। वर्ष 2011 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुआ जब केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 को निरस्त कर तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 और द्वीप सुरक्षा क्षेत्र 2011 को लागू किया गया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहली बार द्वीप सुरक्षा क्षेत्र को भी शामिल किया गया। इन दोनों अधिसूचनाओं का उद्देश्य पारंपरिक मछुआरा समुदायों की आजीविकाओं की सुरक्षा, तटीय पारितंत्र का संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 और द्वीप सुरक्षा क्षेत्र 2011 (सीआरजेड 2011 और आईपीजेड 2011) के तहत निम्न प्रावधान थे, जिनमे:

गोवा, केरल, वृहत मुंबई, और संवेदनशील तटीय क्षेत्र जैसे सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र, चिल्का, भितरकनिका, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मालवा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, मन्नार की खाड़ी आदि को विशेष प्रावधान, समुद्र से 12 समुद्री मील तक की दूरी और नदी, मुहाने या क्रीक जैसे ज्वार भाटे वाले किनारों के समूचे क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 के अंतर्गत रखा गया। मछली उत्पादन या पकड़ने पर पाबंदी नहीं। विकास कार्य की पाबंदी सीमा को ऊँचे ज्वार भाटा क्षेत्र में 200 मीटर से घटाकर 100 मीटर किया गया। डॉ एमएस स्वामीनाथन समिति ने मछुआरों और तटीय क्षेत्र के अन्य निवासियों के लिए घर और उनके अधिकारों के लिए इसकी सिफारिश की थी।

तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 और द्वीप सुरक्षा क्षेत्र 2011 भारत की 7500 किलोमीटर तटीय सीमा और द्वीप समूहों को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम था, जो तटीय पारिस्थितिकी का संरक्षण साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी या बाढ़ से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था परंतु इस अधिनियम में भी कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। इस अधिनियम में मुख्य समस्या राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को हुई। इसमें राज्यों ने प्रमुख मुद्दा विकास को लेकर उठाया था इसके बाद सरकार ने सीआरजेड अधिसूचना 2011 में संशोधन की माँग करने वाले तटीय राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार के लिये डा. शैलेश नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के सुझावों के आधार पर ही नयी अधिसूचना का मसौदा तैयार किया है।

समिति ने इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ कमियों को दर्शाया है जो निम्नलिखित हैं:

- सीआरजेड-6 जोन में स्मारकों/समाधियों के निर्माण की अनुमति देना (गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा)।
- सीआरजेड-2 जोन में उच्च ज्वार लाइन (रेखा) के 500 मीटर (लंबाई की इकाई) के अंदर गगनचुंबी इमारतों (चेन्नई) को अनुमति देने का प्रस्ताव।
- बंदरगाहों, सड़कों, घाटों पोताश्रयों और इस तरह की अन्य सुविधाओं के लिए समुद्र से भूमि की पुन: प्राप्ति (मुंबई) की अनुमति देने का प्रस्ताव।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) क्या है

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत, उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) से 500 मीटर तक तटीय भूमि और खाड़ी, तटीय, बैकवाटर और ज्वार में उतार चढ़ाव के अधीन नदियों के किनारे 100 मीटर की एक अवस्था को तटीय विनियमन क्षेत्र कहा जाता है। इस बेल्ट में कोई निर्माण या औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। तटीय क्षेत्र का उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक का क्षेत्र तथा साथ ही खाड़ी, एस्चूरिज, बैकवाटर और नदियों के किनारों को सी.आर.जेड. क्षेत्र माना गया है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है।

इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को निम्नलिखित चार भागों में बाँटा गया है-

1. **सी.आर.जेड.- 1:** यह कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच का पारिस्थितिक रूप से

संवेदनशील क्षेत्र है, जो तट के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।

2. **सी.आर.जेड.- 2:** यह क्षेत्र तट के किनारे तक फैला हुआ होता है।
3. **सी.आर.जेड.- 3:** इसके अंतर्गत सी.आर. जेड. 1 और 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।
4. **सी.आर.जेड.- 4:** यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा तक फैला हुआ है, इस क्षेत्र में मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों की अनुमति है।

सीआरजेड 2018 नए प्रावधान

ड्राफ्ट में वाणिज्यिक और मनोरंजन प्रयोजनों के लिये भूमि पर से प्रतिबंध हटाने के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों को पर्यटन के लिये खोलने का प्रावधान किया गया है। इन प्रतिबंधों के हटने से रियल एस्टेट और पर्यटन उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना है। उच्च ज्वार लाइन से तटीय विनियमन क्षेत्र' (CRZ) को 500 मीटर तक सीमित किया गया है। सी.आर. जेड.1 (पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र) में सड़कों और ईकोटूरिज्म परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है, जो पहले निषिद्ध थे। उल्लेखनीय है कि इस ड्राफ्ट में 'नो डेवलपमेंट जोन' को उच्च टाइड लाइन से केवल 50 मीटर की दूरी तक सीमित किया गया है जो पहले 200 मीटर तक था। इसके अतिरिक्त, "नो डेवलपमेंट जोन" को "अस्थायी पर्यटन सुविधाओं" के रूप में विकसित किया जा सकता है जो पहले निषिद्ध था। इसके प्रमुख प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार उच्च ज्वार रेखा (एचटीएल) का निर्धारण राष्ट्रीय सतत तट प्रबंधन केन्द्र द्वारा किया गया है और एचटीएल का यह निर्धारण सभी प्रकार के नियामक उद्देश्यों के लिये सार्वभौमिक मानक के रूप में मान्य होगा। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में खतरे की सीमारेखा का मानचित्रीकरण भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। हालांकि खतरे की सीमारेखा को सीआरजेड नियमन क्षेत्र से अलग कर दिया गया है जिससे सीमारेखा का उपयोग आपदा प्रबंधन के प्रयासों के लिये किया जा सके।

तटीय क्षेत्रों में मुख्य भू-भाग के आसपास स्थित द्वीपों पर जलक्षेत्र से 20 मीटर तक के क्षेत्र में विकासकार्यों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान अधिसूचना में शामिल किया गया है। इसमें सीआरजेड क्षेत्र को दो श्रेणियों में बाँटने का प्रस्ताव है। पहली श्रेणी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2161 प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण इलाकों की होगी। इसमें एचटीएल से 50 मीटर तक के क्षेत्र में विकासकार्य प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। पिछली अधिसूचना में यह सीमा 200 मीटर थी। दूसरी श्रेणी 2161 प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण इलाकों की होगी। इसमें प्रतिबंधित विकासकार्य की सीमा रेखा सीआरजेड अधिसूचना 2011 में प्रावधानित 200 मीटर ही रखने का प्रस्ताव है।

नयी अधिसूचना में विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की पहल की गयी है। हालांकि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी वाले सीआरजेड में किसी भी परियोजना की मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय से लेने की अनिवार्यता का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। मसौदे में समुद्र तट पर अस्थायी पर्यटन सुविधाओं को विकासकार्यों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्रों में मुहैया कराने की अनुमति का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा एचटीएल क्षेत्र में सख्त पर्यावरण मानकों का पालन करते हुये चूना पत्थर के नियंत्रित खनन की अनुमति देने का भी नयी अधिसूचना में प्रस्ताव किया गया है।

सीआरजेड 2018 का विश्लेषण

देश की तटीय रेखा के नियमन से संबंधित केंद्र सरकार की नयी मसौदा नियमावली पर गोवा में मिली-जुली प्रतिक्रिया आयी है। पर्यावरणविदों ने इन नियमों पर जहां चिंता व्यक्त की है वहीं तटीय क्षेत्रों के कुछ व्यापारियों का कहना है कि इससे उनका धंधा और फलेगा-फूलेगा। इन व्यापारियों ने कहा है कि मसविदा नियमावली से उनके धंधे को कुछ सीमा तक मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविदों ने मसौदा पर चिंता प्रकट की है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान सीएसआईआर के पूर्व वैज्ञानिक एंटोनियो मैसकारेंन्हास ने कहा कि नियमावली से ऐसे व्यापारियों को तट के और समीप चले जाने की इजाजत मिल जाएगी। तटीय हिस्सों में गतिविधियां बढ़ने का सीधा असर राज्य की पारिस्थितिकी पर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मसविदा नियमावली की वैज्ञानिक वैधता नहीं है।

इसके अलावा इससे तटीय राज्यों में रियल एस्टेट, निर्माण गतिविधियों, बंदरगाहों के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी आ सकती है। मौजूदा नियमों में बदलाव से तटीय इलाकों की विकास संबंधी योजनाओं में केंद्र और केंद्रीय पर्यावरण कानूनों की भूमिका सीमित हो सकती है जबकि राज्यों के अधिकार बढ़ जाएंगे। इससे ग्रामीण तटीय इलाकों में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

पिछली बार तटीय इलाकों से संबंधित नियमों में वर्ष 2011 में संशोधन किया गया था लेकिन अधिकांश तटीय राज्य इससे खुश नहीं थे। उनका कहना था कि इससे तटीय इलाकों का विकास प्रभावित हो रहा है। इन नियमों के मुताबिक राज्यों को तटीय इलाकों के विकास की अपनी योजना केंद्र को सौंपनी थी लेकिन कई राज्यों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। नायक समिति की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है। समिति ने सिफारिश की है कि पर्यावरण मंजूरी की जरूरत वाली गतिविधियों को छोड़कर तटीय इलाकों के प्रबंधन की बाकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सौंपी जानी चाहिए। शहरों और ग्रामीण इलाकों के तटीय क्षेत्रों तथा 12 समुद्री मील तक जलक्षेत्र की जिम्मेदारी उनके पास होनी चाहिए। निर्माण गतिविधियों से संबंधित नियमों को हाल ही में शिथिल किया गया है और अब नायक समिति की सिफारिशों से तटीय इलाकों के विकास को हवा मिल सकती है।

नायक समिति ने राज्यों की अधिकांश माँगों को मान लिया है। इसमें महाराष्ट्र सरकार की यह माँग भी शामिल है कि फ्लोर एरिया रेश्यो को निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दिया जाए और इसके लिए 2011 के नियमों का सहारा न लिया जाए। समिति ने साथ ही व्यापक जनहित वाली परियोजनाओं के लिए समुद्र को पाटने की अनुमति देने की भी सिफारिश की है। समिति का मानना है कि बंदरगाहों और हार्बरों के विकास, मत्स्यपालन से संबंधित गतिविधियों और पुल, सी लिंक, सड़क, पर्यटन और तटीय सुरक्षा के लिए जरूरी राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए ऐसा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र के नियम 2011 में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं, इससे तटीय क्षेत्रों के नियमन में राज्यों की स्थिति निर्णायक हो जाएगी। तटीय क्षेत्र पर्यटन और औद्योगिक आधारभूत संरचना के लिए अधिक सुलभ हो जाएँगे और राज्यों को विकास के सन्दर्भ में निर्णय लेने में फायदा मिलेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

भारत के बचपन पर होता कुठाराघात

प्र. हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन की वकालत की है। बाल संरक्षण आयोग की चर्चा करते हुए पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- बाल संरक्षण आयोग के दायित्व
- बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच
- संविधान में बाल अधिकार
- पॉक्सो कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों?
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- कठुआ और देश के कुछ दुसरे हिस्सों में बच्चियों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पॉक्सो कानून में जरूरी संशोधन की वकालत की है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना संसद के एक अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी।
- बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) सार्वभौमिकता और बाल अधिकारों की पवित्रता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश की नीतियों से संबंधित सभी बच्चे में तात्कालिकता के स्तर को पहचानता है।

बाल संरक्षण आयोग के दायित्व

- किसी विधि के अधीन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाये गये उपायों की निगरानी व जाँच करना जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्तमान केंद्र सरकार को सुझाव देते हैं।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना और बच्चों के लिए उपलब्ध सुरक्षोपाय के बारे में जागरूकता फैलाना आदि का वर्णन करें।

बाल अधिकारों के उल्लंघन की जाँच

- बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जाँच कर ऐसे मामलों में कार्यवाही प्रारंभ करना और स्वत: संज्ञान लेना जहाँ बाल अधिकारों का उल्लंघन व उपेक्षा होती है।

संविधान में बाल अधिकार

- भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के माध्यम से बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21(ए), अनुच्छेद 39(5), अनुच्छेद 39(एफ), संविधान की धारा 24, बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986 आदि का वर्णन करें।

पॉक्सो कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के शोषण, उनके साथ दुष्कर्म, बच्चों की तस्करी आदि पर नियंत्रण के लिए सशक्त कानून (फाँसी) की आवश्यकता है।

आगे की राह

बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार अथवा प्रशासन के साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, उन परिस्थितियों को बदलना होगा जो सभ्य समाज एवं मानवता के लिए कलंक हैं। ■

भारत की जनसंख्या : जनांकिकीय लाभांश अथवा बोझ

प्र. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश में रोजगार सृजन नहीं किये गये तो जनांकिकीय लाभ के जनांकिकीय त्रासदी में बदल जाने का जोखिम रहेगा। इस कथन के संदर्भ में रोजगार सृजन की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि किस प्रकार इस चुनौती से निपटा जा सकता है?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- वर्तमान स्थिति
- लाभ

- कारण
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का बेहद छोटा आकार होने तथा शिक्षा का लाभ अब भी दूरस्थ इलाकों में नहीं पहुँच पाना चिंताजनक है।
- उन्होंने कहा कि यदि रोजगार सृजित नहीं किये गये तो देश के जनांकिकीय लाभ के जनांकिकीय त्रासदी में बदल जाने का जोखिम रहेगा।

परिचय

- भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 15 से 64 वर्ष के बीच में है अगर इस बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या को गैर-कृषि क्षेत्रों में लगाया जाए तो आय में उच्चवृद्धि होगी।
- वैश्विक परिदृश्य में देखे तो 2022 तक भारत की औसत मध्यम उम्र 28 साल होगी, जो चीन व यूएस में 37, पश्चिमी यूरोप में 45 तथा जापान में 49 के मुकाबले काफी कम है।
- जनांकिकीय लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है।

जनांकिकीय लाभांश की वर्तमान स्थिति

- आबादी किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जनसंख्या के आँकड़े बताते हैं कि हमारे इस संसाधन में युवा और कार्यशील आबादी 2001 में जहाँ कार्यशील जनसंख्या (15-64 साल) 60 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 63.4 प्रतिशत हो गई है।

लाभ

- युवा आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- 2015 से जनांकिकीय खूबियों से मिलने वाला लाभ चीन में कम होता जाएगा जबकि वहीं भारत को 2040 तक इसका लाभ मिलता रहेगा।

कारण

- कार्यशील जनसंख्या के प्रमुख कारणों में जनसंख्या वृद्धि प्रमुख है हालांकि जनसंख्या वृद्धि अब 17.64% पर आ गई है लेकिन अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है।
- शिक्षा पद्धति का परंपरागत स्वरूप, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, शिक्षा से संबंधित स्पष्ट नीति का अभाव, श्रम ब्यूरो का न्यूनतम सर्वे, विभिन्न राज्यों में विनियामक प्रतिबंध, पर्याप्त पूंजी का अभाव आदि की चर्चा करें।

प्रभाव

- किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या का होना उस देश के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है।
- छात्र आंदोलनों का दौर, सामाजिक बुराई (नक्सलवाद, आतंकवाद), युवाओं का अवसाद ग्रस्त होना, स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि, आत्महत्या की दर में वृद्धि आदि को दर्शाएं।

आगे की राह

- हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने यह माना कि सूचना तकनीकी विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने से रोजगार में कमी आई है।
- विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, मजबूत राष्ट्रीय नीति, सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना, व्यापक नीति की आवश्यकता, कौशल विकास कार्यक्रमों में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण, परंपरागत शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना, शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, राज्यों के विनियामक प्रतिबंधों को रोजगार के अनुसार बदलने की आवश्यकता आदि का वर्णन करें। ■

विधायिका के कठघरे में मुख्य न्यायाधीश को लाने की कवायद

प्र. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए लाए गए महाभियोग के कारणों की चर्चा करते हुए न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया को समझाइए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
  - न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग का इतिहास
- न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में काँग्रेस के नेतृत्व में छह अन्य विपक्षी पार्टियों ने देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे उपराष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया।

पृष्ठभूमि

- महाभियोग के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर 5 आरोप लगाए गए हैं जिन्हें महाभियोग का मुख्य आधार कहा गया है। इनमें मुख्य न्यायाधीश के पद के अनुरूप आचरण न होना, बैंक डेटिंग का आरोप, जमीन अधिग्रहण, मास्टर ऑफ द रोस्टर का दुरूपयोग आदि प्रमुख हैं।
- **अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग का इतिहासः** देश के न्यायिक इतिहास में 6 मामले प्रमुख रूप से महाभियोग के हैं-
  1. जस्टिस वी रामास्वामी
  2. जस्टिस सौमित्र सेन
  3. जस्टिस पीडी दिनाकरण
  4. जस्टिस एस के गंगले
  5. जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी
  6. जस्टिस जे.बी. पार्दीवाला

महाभियोग की प्रक्रिया

- संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कदाचार और अक्षमता का आरोप साबित होने पर न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है।

निष्कर्ष

- भारतीय न्यायपालिका के काम करने के तरीकों में जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायपालिका हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र है और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश में इस समय न्यायालय की साख बचाने और उसके आडे आने वाली गलतियों को ठीक करना जरूरी है। तभी लोकतंत्र सुरक्षित है। ■

नये भारत के लिए सॉफ्ट पावर नीति की आवश्यकता

प्र. क्या भारत को अभी अपनी विदेश नीति में हार्ड पावर को इस्तेमाल करना चाहिए या भारत कि जो पहचान विदेश नीति में सॉफ्ट पावर की है उसी का अनुशरण करते रहना चाहिए? चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- क्या है सॉफ्ट पावर
- नेहरू युग में विदेश नीति
- वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य
- स्थिति और जिम्मेदारी
- क्षेत्रीय आकांक्षाएँ
- आगे की राह
- निष्कर्ष

संदर्भ

- अक्सर कहा जाता है कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और अब भारत को वैश्विक राजनीतिक में बड़ी भूमिका निभाना चाहिए क्या अभी हम इस लायक हो गए हैं?

क्या है सॉफ्ट पावर

- सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए किया जाता है। जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष्य रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों से किसी अन्य देश के व्यवहार व हितों को प्रभावित करता है।

नेहरू युग में विदेश नीति

- नेहरू जी का दृष्टिकोण था कि भारत वैश्विक राजनीति में अहम भूमिका निभाएगा इसलिए नेहरू ने डिप्लोमेसी पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके अलावा सैन्य मजबूती और आर्थिक मजबूती पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य

- वर्तमान में हमारी विदेश नीति उतनी आदर्शवादी नहीं रही है लेकिन इसके साथ ही हम इतने सक्षम अभी नहीं हो पाए हैं कि वैश्विक राजनीति से एक बड़ा किरदार निभाएँ क्योंकि हमारी हार्ड पावर इतनी मजबूत नहीं है और हमे जरूरत भी नहीं है।

स्थिति और जिम्मेदारी

- बड़ी भूमिका निभाने के लिए हमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी जैसी USA ले रहा है सीरिया, अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में।

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

- एक बात और कही जाती है कि अगर भारत वैश्विक राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं निभाता तो रीजनल क्षेत्र में तो निभा सकता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि भारत हमेशा अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास रखता है।

आगे की राह

- भारत को अभी वैश्विक राजनीति में बड़ा रोल निभाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

- प्राचीन काल से ही भारत की वैदेशिक नीति में सॉफ्ट पावर की ज्यादा प्रसंशा हुई है और इसके लाभ भी बहुत है अतः हमें अभी भी सॉफ्ट पावर को ही बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। ■

सीरिया विवाद : विश्व शांति के लिए बढ़ता खतरा

प्र. सीरिया में संघर्ष हाल के दिनों की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है, जिसने दुनिया की कई प्रमुख शक्तियों को उलझा दिया है, इस संकट के प्रभाव को इंगित करते हुए आवश्यक उपायों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- सीरिया संकट के कारण
- वर्तमान परिदृश्य
- सीरिया संकट का प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक विद्रोहियों के कब्जे वाले घौटा इलाके में राष्ट्रपति असद की सेना द्वारा किए गए रासायनिक हमले में 70 नागरिकों की मौत हो गई।
- इस घटना के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर हमला कर दिया।
- रूस, चीन और ईरान ने हमले पर विरोध जताया है, तो सऊदी अरब और तुर्की समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने कार्रवाई का समर्थन किया है।

पृष्ठभूमि

- सीरिया संकट की शुरूआत वर्ष 2011 के अरब स्प्रिंग से हुई थी, वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरूआत 26 जनवरी को हसन अली नामक व्यक्ति के असद सरकार के विरोध में आत्मदाह से हुई थी।

- 2017 में उत्तरी सीरिया के इदबिल प्रांत के खान शेखहुन में रासायनिक हमलों के बाद सैकड़ों लोग मारे गए।

सीरिया संकट के कारण

- सीरिया में सिर्फ सत्ताधारी दल, विरोधी और आईएसआईएस ही नहीं लड़ रहे, या केवल उनके ही हित दांव पर नहीं लगे हैं, बल्कि रूस और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों की दिलचस्पी भी सीरिया युद्ध को लेकर है।
- गृह युद्ध के चलते सीरिया खंडहर में तब्दील हो गया है, हजारों लोग शरणार्थी बनकर यूरोप और दुनियाँ के दूसरे हिस्सों में शरण ले चुके हैं तथा युद्ध के दौरान हजारों बेगुनाह मारे गए हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- मध्य-पूर्व का देश सीरिया इन दिनों जंग का अड्डा बन गया है, पीछले करीब 7-8 साल से युद्ध की आग में झुलस रहे इस देश में मानवीय संकट भी मुंह बाए खड़ा है।
- अब सीरिया, रूस और अमेरिका के बीच एक नए किस्म के तनाव का केंद्र भी बन गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 'शीत युद्ध का नया दौर' करार दिया है।

सीरिया संकट का प्रभाव

- पश्चिमी एशिया का यह देश दो महाशक्तियों की शक्ति स्पर्धा में पिस रहा है।
- फरवरी 2018 तक, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के अनुसार, सीरिया से करीब 5.5 मिलियन शरणार्थीयों को पंजीकृत किया था और अनुमान लगाया था कि सीरिया की सीमाओं में 6.5 मिलियन आंतरिक विस्थापित व्यक्ति हैं।

आगे की राह

- बाहरी शक्तियाँ जो सीरियन संकट में छद्‌म युद्ध को अंजाम दे रही हैं, उनको अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए और इस क्षेत्र में किसी भी अतिवादी समूह को वित्तीय सहायता नहीं की जानी चाहिए।
- दो महाशक्तियों यूएस और रूस को शीत युद्ध दुहराने के बजाय सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए काम करना होगा साथ ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। ■

शीघ्र नष्ट होने वाली उपजों का उपचार : ऑपरेशन ग्रीन

प्र. हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई "ऑपरेशन ग्रीन" योजना कृषि क्षेत्र को किस हद तक संवारेगी? इस योजना के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है?
- ऑपरेशन ग्रीन योजना की आवश्यकता क्यो?
- सरकारी पहल
- ऑपरेशन ग्रीन योजना से लाभ
- चुनौतियां
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- सरकार ने कहा है कि कृषि उपज की अधिक पैदावार की स्थिति में जल्दी खराब होने वाले टमाटर, आलू और प्याज जैसे कृषि जिंसों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने तथा इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में एक नई योजना "ऑपरेशन ग्रीन" की शुरूआत की है।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संवाददाताओं से कहा कि इस नई योजना की रूपरेखा को विभिन्न अंशधारकों के साथ विचार विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है?

- श्वेत क्रांति की अभूतपूर्व सफलता के बाद वर्तमान सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन की शुरूआत की है।
- ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों को उसकी खेती से लेकर रसोई घर तक की आपूर्ति श्रृंखला को संयोजित करना है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रूपये का आवण्टन किया है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना की आवश्यकता क्यो?

- सरकार का उद्देश्य आलू, प्याज व टमाटर के मूल्यों को स्थिर करना, किसानों को इन जिंसों की कृषि के लिए प्रोत्साहित करना, 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, कृषि प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहन देना, कलस्टर आधारित श्रृंखला विकसित करना, सरकार द्वारा 22,000 हाट विकसित किया जा रहा हैं आदि का वर्णन करें।

सरकारी पहल

- ऑपरेशन ग्रीन के तहत 22000 हाट होंगी विकसित, प्रत्यक्ष खरीद के लिए होंगी हाट, कृषि जिंसो पर डेढ़ गुना एमएसपी, फसलों का मिलेगा उचित मूल्य आदि चर्चा करें।

ऑपरेशन ग्रीन योजना से लाभ

- इस योजना से किसान प्रोत्साहित होंगे इन सब्जियों की सालभर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, कलस्टर आधारित व्यवस्था विकसित होगी, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, मंहगाई से निज़ात, बिचौलियों की समाप्ति, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करना आदि को दर्शाएँ।

चुनौतियाँ

- आलू, प्याज व टमाटर के लिए आधारभूत संरचना का अभाव, इन सब्जियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से नहीं जोड़ा जाना मंडी कानून में संशोधन नहीं, भारी निवेश की कमी, किसानों में जागरूकता की कमी। आदि को ईंगित करें।

आगे की राह

- इन सब्जियों की जरूरत हर छोटी-बड़ी रसोईघर में होती है इसलिए इस मुद्दे के राजनीतिकरण से बचना होगा। इन सब्जियों को फूड प्रोसेसिंग उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए। विचौलियों से संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) कानून को संशोधित करने की जरूरत है। आधुनिक तकनीकी तथा किसानों की जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है आदि की चर्चा करें। ■

तटीय विनियमन क्षेत्र 2018 की सूक्ष्म पड़ताल

प्र. हाल ही में सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र, 2011 में संशोधन करते हुए नया तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम का मसौदा जारी किया। इस अधिनिमय की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करते हुए बताइए कि यह सीआरजेड 2011 से कितना प्रभावकारी है।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- तटीय विनियमन क्षेत्र क्या है
- सीआरजेड 2018 में प्रावधान
- सीआरजेड 2018 का विश्लेषण
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय इलाकों में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तटीय नियमन क्षेत्र के निर्धारण हेतु नई अधिसूचना का मसौदा जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- पर्यावरण और प्रशासन की दृष्टि से तटीय पारिस्थितिकी एक विशेष चुनौती पेश करती है अतः इस चुनौती से निपटने के लिए वर्ष 1991 में तटीय विनियम अधिनियम बनाया गया इसके पश्चात इसमें संशोधन वर्ष 2011 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों का नियमन करना था।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) क्या है

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उच्च ज्वार रेखा से (एचटीएल) 500 मीटर तक तटीय भूमि और खाड़ी, तटीय बैकवाटर और ज्वार में उतार चढ़ाव के अधीन नदियों के किनारे 100 मीटर की एक अवस्था को तटीय विनियम क्षेत्र कहा जाता है। इसको 4 भागों में बाँटा गया है।

सीआरजेड-2018 में प्रावधान

- इसमें राज्यों को वाणिज्यिक और मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भूमि से प्रतिबंध हटाने के साथ-साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों को पर्यटन के लिए प्रावधान करने की छूट प्रदान की है।
- इसमें उच्च ज्वार लाइन से तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) को 500 मीटर तक सीमित किया है।

सीआरजेड 2018 का विश्लेषण

- तटीय विनियम क्षेत्र 2018 के मसौदे की मिली जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। गोवा के तटीय व्यापारियों का कहना है कि इससे उनका व्यापार विकसित होगा, वहीं पर्यावरणविदों ने इन नियमों पर चिंता व्यक्त की है।

निष्कर्ष

- केंद्र सरकार ने तटीय क्षेत्र के नियम 2011 में महत्वपूर्ण बदलाव किए इससे क्षेत्रों के नियमन में राज्यों की स्थिति निर्णायक हो जाएगी।

■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. फ्रेंच नेशनल असेंबली ने विवादास्पद आव्रजन कानून पारित किया

फ्रांस नेशनल असेंबली द्वारा 22 अप्रैल 2018 को एक विवादास्पद आव्रजन कानून पारित किया गया जिसके चलते देश में राजनितिक उथल-पुथल शुरू हो गयी है। विवादास्पद आव्रजन कानून पारित करने से राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की पार्टी अभूतपूर्व तरीके से दो हिस्सों में बट गई। इस पर 61 घंटों तक बहस चली, जिसके बाद इसे पारित किया गया। इस कानून के पक्ष में 228 और खिलाफ में 139 मत पड़े जबकि 24 अनुपस्थित रहें। मैक्रों की पार्टी रिपब्लिक ऑन द मूव (एलआरईएम) पार्टी के भारी समर्थन के दम पर यह पारित हुआ।

इसका लक्ष्य आव्रजन पर बेहतर नियंत्रण आश्रय आवेदनों के प्रतीक्षा समय को छह माह करना और आर्थिक प्रवासियों के निर्वासन को आसान बनाना है। इससे शरणार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि वे फ्रांस में बेहतर जीवन जी सकें और निर्वासित जीवन जीने पर मजबूत न हों।

यूरोप में प्रवासी संकट

मध्य पूर्व और अफ्रीका से रोजाना सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे प्रवासियों से यूरोपीय संघ के देश दवाब में हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन के मुताबिक, वर्ष 2015 में जनवरी से अगस्त के बीच 3,50,000 प्रवासियों की पहचान की गई। बीते साल 2,80,000 प्रवासियों की शिनाख्त हुई थी। ■

2. नासा ने सौरमंडल से बाहर ग्रहों की खोज के लिए लांच किया सैटेलाइट TESS

ग्रहों की खोज के लिए नासा का सैटेलाइट ट्रांजिट एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट (टेस) केप कैनरवल से स्पेइस एक्स फाल्ककन 9 रॉकेट से लांच कर दिया गया। यह लांच 23 अप्रैल के लिए सुनियोजित था किंतु अतिरिक्त रॉकेट के विश्लेषण के कारण इसे दो दिन के लिए टाल दिया और अंतत: 24 अप्रैल शाम 6.51 मिनट पर लांच कर दिया गया।

मुख्य तथ्य

नासा का टेस TESS स्पेसक्राफ्ट स्पेस साइंस से जुड़े सभी अत्याधुनिक उपकरण और टेलीस्कोप के साथ स्पेस एक्स के Falcon 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। अपने सौरमंडल के बाहर मौजूद छोटे या बड़े करीब 3700 ग्रह नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा सालों में खोजे हैं। एलियन प्लैनेट खोजने के नासा के उसी मिशन को अब टेस स्पेसक्राफ्ट और आगे ले जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट करीब 60 दिनों की यात्रा के बाद धरती और चांद के बीच एक नए ऑरबिट यानि कक्षा तक पहुंच जाएगा। इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद और धरती के बीच हर ढाई हफ्ते में एक परिक्रमा पूरी करेगा। बता दें कि 'टेस' स्पेसक्राफ्ट नासा के केप्लर टेलीस्कोप की ही तरह ट्रांजिट फोरोमेट्री transit photometry तकनीक का यूज करके सौरमंडल के आसपास के करीब 100 ग्रहों की कड़ी निगरानी करके उनके बारे में हर वो चीज पता लगाएगा, जो वैज्ञानिकों के लिए जरूरी है। एक फ्रिज के आकार के इस स्पेसक्राफ्ट में सोलर पैनल के अलावा चार सबसे पावरफुल कैमरे लगे हैं, जो धरती से दिखने वाले करीब 2 लाख चुनिंदा तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों की पड़ताल करेगा। नासा इस स्पेस मिशन द्वारा कई एलियन प्लैनेट्स का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सौर मंडल के बाहर धरती जैसे ग्रह खोजने निकले धरती के सबसे पहले मिशन यानि टेस स्पेसक्राफ्ट पर नासा ने $337 मिलियन डॉलर यानि करीब 22 अरब रुपए खर्च किए हैं। नासा का यह मिशन खर्चीला तो बहुत है, लेकिन अपने आप में कमाल का है।

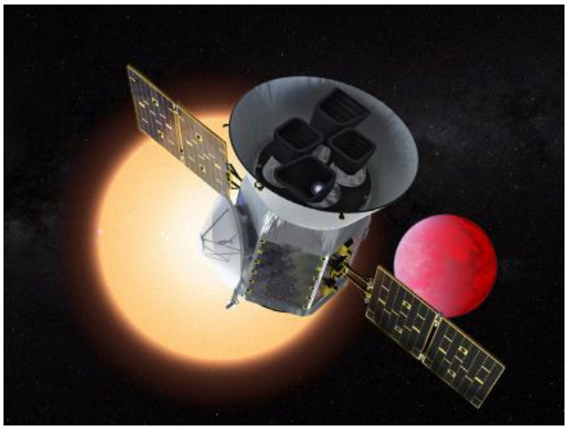

यह स्पेसक्राफ्ट हमारे सौरमंडल के बाहर तारों का चक्कर लगा रहे धरती जैसे पथरीले और ठोस ग्रहों को खोजने का लाजवाब काम करेगा। बता दें कि टेस मिशन ब्रह्माण्ड में कम गर्म और छोटे तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों पर खासतौर पर फोकस करेगा, क्योंकि नासा को उम्मीद है कि ऐसे ही तारों के ग्रहों पर धरती जैसी जमीन मिल सकती है, जो आगे की जांच में फसलों के लिए उपजाऊ भी हो सकती है। ■

3. भारत और ब्रिटेन के मध्य नौ समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और ब्रिटेन ने 18 अप्रैल 2018 को नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इनमें तकनीक, व्यापार एवं निवेश जैसे विषय शामिल हैं। यह समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान किये गये।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लंदन में 19-20 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में भी भाग लेंगे। दोनों देशों ने साइबर संबंधों के साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के संबंध में समझौते के अलावा, साइबर सुरक्षा प्रबंधन पर भी समझौते दोनों देशों ने किये। सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग पर समझौता भी हुआ।

भारत-ब्रिटेन के मध्य साइबर संबंधों हेतु फ्रेमवर्क समझौता

- भारत और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच साइबर संबंधों के लिए एक समझौता किया ताकि दोनों देशों के मध्य मुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित साइबरस्पेस विकसित किया जा सके।
- इस समझौते के तहत दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को साझा करने तथा सुरक्षा के लिहाज से प्रबंधन हेतु हस्ताक्षर भी किये।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध के संबंध में जानकारी साझा करने हेतु एमओयू

- दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध की स्थिति में जानकारियों का आदान-प्रदान करने तथा संगठित अपराध की दृष्टि में जानकारी साझा

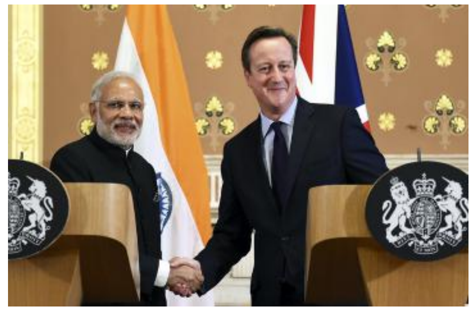

करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- आपराधिक रिकॉर्ड, आप्रवासन रिकॉर्ड और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

गंगा पुनरुद्धार के लिए एमओयू

- राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (एनएमसीजी) एवं राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद् (एनईआरसी), यूके ने गंगा स्वच्छता हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारत सरकार को गंगा की सफाई एवं प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत दोनों देश मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे गंगा स्वच्छता मिशन को मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा।

सतत शहरी विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- भारत और ब्रिटेन ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया।
- इस समझौते के तहत प्रोग्राम एवं प्रोजेक्ट डिजाईन, वित्तीय सहायता तक पहुंच, ज्ञान का आदान-प्रदान एवं अनुसंधान आदि शामिल हैं।
- इस समझौते से स्मार्ट सिटी मिशन में भी सहायता प्राप्त होगी।

कौशल विकास पर एमओयू

दोनों देशों ने कौशल विकास, वोकेशनल एजुकेशन एवं प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई तथा एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

सुरक्षित परमाणु उर्जा के उपयोग पर समझौता

एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया (एईआरबी) तथा ऑफिस फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (ओएनआर) के मध्य परमाणु उर्जा के सुरक्षित एवं सुनियोजित उपयोग किये जाने हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

अन्य समझौते

- भारत और ब्रिटेन ने पशुधन, मछली पालन एवं कृषि के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- दोनों देशों में अनुसंधान एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने हेतु समझौता पत्र जारी किया गया।
- ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद (भारत) तथा कॉलेज ऑफ मेडिसिन (ब्रिटेन) के मध्य भी एक गैर-सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

■

4. नासा स्थापित करेगा लूनर अन्तरिक्ष स्टेशन

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक और स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा का डीप स्पेस गेटवे 2025 तक चंद्रमा की कक्षा में काम करेगा। स्पेस एजेंसी इस स्पेस स्टेशन के निर्माण पर 2022 में काम करना शुरू करेगी।

नासा काफी समय से भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले लंबी अवधि के मिशन के लिए चंद्रमा की कक्षा में एक चौकी बनाने की कोशिश कर रहा था। प्रोजेक्ट लूनर ऑर्बिटल प्लैटफॉर्म-गेटवे के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर विलियम जरस्टेनमेयर ने हाल ही में कोलोराडो में हुई स्पेस सिम्पोजियम कॉन्फ्रेंस में इसके लिए नए समय का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गेटवे 2025 तक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा।

कहा जा रहा है कि यह चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के स्टेज के रूप में काम करेगा। इसके अलावा यह मंगल पर जाने वाले मिशन के लिए विश्राम स्थल की तरह भी काम करेगा। इसके निर्माण के लिए नासा अगले साल कांट्रैक्ट जारी करेगा।

लॉकहीड मार्टिन एयरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा ओरियन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को इस स्पेस स्टेशन तक लेकर जाएगा। इसमें कम से कम चार अंतरिक्ष यात्री जा सकते हैं। धरती पर वापस लौटने से पहले अंतरिक्षयात्री लूनर गेटवे में 30 दिनों तक रुक सकते हैं। नासा के इस प्रोग्राम में भारत व चीन समेत सभी ब्रिक्स देश हिस्सा हिस्सा ले सकते हैं। ■

5. राष्ट्रमंडल देशों द्वारा साइबर सुरक्षा पर "राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा" अपनाई गई

लंदन में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की सरकारी बैठक (CHOGM) के अंत में 2020 तक राष्ट्रमंडल देशों ने साइबर सुरक्षा पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा को अपनाया है। इस घोषणा को साइबर सुरक्षा सहयोग पर दुनिया की सबसे बड़ी और भौगोलिक दृष्टि से अंतर-सरकारी प्रतिबद्धता माना जा रहा है। 53 राष्ट्रमंडल देश इस घोषणा के तहत अपने साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया तंत्र मूल्यांकन पर बारीकी से काम करने पर सहमत हुए है। इसके तहत किया गया वित्त पोषण राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों, व्यवसायों और नागरिकों को प्रभावित करने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों तथा खतरों को रोकने हेतु काम करेगा। यह 2020 में होने वाली अगली राष्ट्रमंडल प्रमुखों की सरकारी बैठक (CHOGM) से पहले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा क्षमता समीक्षा हेतु निम्न तथा मध्यम आय वाले राष्ट्रमंडल सदस्यों को सक्षम बनाएगा।

राष्ट्रमंडल देशों का संगठन

यह उन देशों का अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो ज्यादातर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसे 1949 में लंदन घोषणा द्वारा स्थापित किया गया था। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप और प्रशांत के कई देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। वर्तमान सदस्यता में 54 देश (भारत सहित) शामिल हैं। यह सदस्यता मुक्त और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं। वह राष्ट्रमंडल के 16 सदस्यों की प्रमुख भी है जिसे राष्ट्रमंडल क्षेत्र कहा जाता है। ■

6. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ग्लोबल वीमेन्स लीडरशिप अवार्ड हेतु चयनित

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आस्ट्रेलिया में 27 अप्रैल को प्रतिष्ठित ग्लोबल वीमेन्स लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जा रहा है तथा 2018 ग्लोबल समिट आफ वीमेन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

- शेख हसीना को बांग्लादेश में महिलाओं की शिक्षा और उद्यमिता के लिए किये जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया जायेगा।
- यह सम्मान शेख हसीना के महिलाओं की बेहतरी के लिए हमेशा कार्य करते रहने के मद्देनजर दिया जा रहा है।

- शेख हसीना द्वारा जारी योजनाओं ने बांग्लादेश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शिक्षा एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान किये।
- वर्ष 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह सम्मान प्रदान किया गया था।
- यह सम्मान पाने वालों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और यूनेस्को के पूर्व महासचिव इरिना बोकोवा शामिल हैं।

ग्लोबल वीमेन्स लीडरशिप सम्मलेन के उद्देश्य

- आर्थिक विकास एवं सामाजिक समावेश के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- महिलाओं के उद्यमों के लिए वैश्विक बाजार की स्थापना करना तथा नये अवसरों की तलाश करना।
- भविष्य में विकास के लिए उर्जा स्रोतों की खोज करना।
- स्टेम (STEM) एजुकेशन डिजिटल तकनीक तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- सीमित प्राकृतिक स्रोतों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना।

ऐसे संगठनों का निर्माण करना जहां लैंगिक भेदभाव के बिना लोगों को लीडरशिप क्वालिटी के लिए तैयार किया जा सके। ■

7. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 138वें स्थान पर

अंतरराष्ट्रीय संस्था, रिपोर्टर्स विदआॅउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा 25 अप्रैल 2018 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2018 रिपोर्ट जारी की गयी। इस रिपोर्ट में भारत की रैकिंग पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान गिरकर 138वें स्थान पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा पत्रकारों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है तथा उनके खिलाफ हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- भारत 2017 में 136 वें स्थान पर था और अब दो अंक कम होकर 138 पर पहुंच गया है। इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है।

- सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा केंद्र सरकार के समर्थकों द्वारा सोशल नेटवर्क पर पत्रकारों पर निशाना साधा जाता है और नफरत वाले बयानों को बढ़ावा दिया जाता है।
- कट्टरवादी राष्ट्रवादियों के ऑनलाइन अभियानों का पत्रकार तेजी से निशाना बन रहे हैं। साथ ही कट्टर राष्ट्रवादी शारीरिक हिंसा की धमकी देते हैं।
- सरकार के अत्यधिक आलोचक पत्रकारों को चुप कराने के लिए अभियोग का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ अभियोग पक्ष ने दंड संहिता की धारा 124ए का हवाला दिया, जिसके तहत 'राज द्रोह' की सजा उम्र कैद है। वर्ष 2017 में तीन पत्रकारों की हत्या की गई जिनमें संपादक गौरी लंकेश भी शामिल हैं। इन पत्रकारों को इनकी रिपोर्ट के कारण निशाना बनाया गया।
- मार्च 2018 में तीन अन्य पत्रकारों को उनके पेशेवर कार्यों के चलते मार डाला गया।
- कश्मीर में स्थानीय मीडिया के लिए काम करने वाले पत्रकारों को केंद्र सरकार की सहमति पर तैनात सैनिकों द्वारा निशाना बनाया गया।

वैश्विक संदर्भ में रिपोर्ट

- रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस व चीन पर मीडिया विरोधी रवैया अपनाने व सक्रिय रूप से प्रेस की आजादी पर नियंत्रण की मांग करने का आरोप लगाया गया है।
- इस रिपोर्ट में उत्तर कोरिया अंतिम 180वें स्थान पर है जहां प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से सरकार के हाथों में बताई गई है।
- सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 45वें स्थान पर है तथा उसे 23.73 अंक प्राप्त हुए हैं।
- इसी प्रकार रूस इस सूची में 148वें स्थान पर है तथा इसे 49.96 अंक प्राप्त हुए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में पहले की तुलना में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चिंता का विषय है।
- रिपोर्ट में कहा गया है तुर्की (157) एवं मिस्र (161) कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जहां पत्रकारों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं।
- यूरोप में पत्रकारों के खिलाफ राजनेताओं के मौखिक हमलों में बढ़ोतरी को भी स्वीकारा गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि स्लोवाकिया (27) के रिपोर्टर जेन कॉसिएक की फरवरी 2018 में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि इसके चार महीने पहले यूरोपियन पत्रकार कारुअना गलिजिया की माल्टा में कार बॉम्बिंग द्वारा हत्या की गई थी।

चीन (176) द्वारा समाचारों पर पूरा नियंत्रण रखा जा रहा है जिसके चलते देश में प्रेस की स्वतंत्रता हमेशा की तरह बंदिश में है। ■

राष्ट्रीय

1. आरबीआई ने बैंक केवाईसी (KYC) से संबंधित नये नियम जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु यह कदम आवश्यक है।

आरबीआई द्वारा जारी नई गाइडलाइन्स

- भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा।
- नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा।
- आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था।
- आरबीआई ने यह भी कहा है कि उसके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली सभी बैंकों और अन्य कंपनियों पर यह गाइडलाइन लागू होंगी।
- हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में यह नियम लागू नहीं होंगे।

नाम और पता दर्ज कराने हेतु

- नए मानदंडों में पुराने सेक्शन को हटा दिया गया है जिसमें राज्य सरकार या राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति को पते या नाम अथवा पहचान की अनुमति देता है। यह व्यक्ति के मौजूदा नाम में 'आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज' की प्रमाणित प्रति के साथ नाम में परिवर्तन का संकेत देता है। इसे अब बदलकर केवल आधार कार्ड कर दिया गया है। ■

2. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने गांवों के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। पुनर्गठन के बाद तैयार की गई इस नई योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मांडला जिले से करेंगे। प्रधानमंत्री इसी दिन देश भर की ग्राम सभाओं को भी सीधे संबोधित करेंगे। इसके तहत अगले चार सालों में गांवों के विकास पर 7255 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। इनमें लगभग 4500 करोड़ रुपए केंद्र और लगभग 2700 करोड़ राज्य सरकार देगी। योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की मुख्य विशेषताएं

- योजना के नए स्वरूप के तहत ग्राम पंचायतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत के काम-काज में पारदर्शिता लाने पर भी जोर रहेगा।
- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ते करने के लिए योजना के क्रियान्वयन और निगरानी गतिविधयों को सामान्य रूप से आपस में जोड़ा जाएगा और मुख्य बल, मिशन अंत्योदय के अंतर्गत चिन्हित पंचायतों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 आकांक्षी जिलों पर होगा।
- इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा।
- योजना में उन क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन के संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा जहां पंचायतें नहीं हैं।
- पंचायतों द्वारा की गई प्रगति की क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एवं निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन 'एक्शनसॉफ्ट' विकसित किया गया है।
- इसके साथ ही एक नये पुरस्कार 'ग्राम पंचायत विकास योजना' की इस वर्ष शुरूआत की गई है। यह देशभर में सर्वश्रेष्ठ योजना बनाने के लिए तीन ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाएगा। ■

3. मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ 'फिल्म फ्रेंडली राज्य' का पुरस्कार

मध्य प्रदेश को 19 अप्रैल 2018 को सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली राज्य पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार की घोषणा ज्यूरी के अध्यक्ष रमेश सिप्पी द्वारा की गई। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 03 मई 2018 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश का चयन क्यों?

- मध्य प्रदेश द्वारा अपने यहां फिल्मांकन में सहूलियत सुनिश्चित करने के प्रयासों को देखते हुए इस राज्य को 'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार' प्रदान किया गया है।
- मध्य प्रदेश सुव्यवस्थित वेबसाइट बनाने और फिल्म अनुकूल बुनियादी ढांचा स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न तरह के प्रोत्साहनों की पेशकश कर रहा है, संबंधित डेटाबेस का रख-रखाव बढ़िया ढंग से कर रहा है और इसके साथ ही विपणन एवं संवर्धन संबंधी पहल भी कर रहा है।
- ज्यूरी ने इसमें भाग लेने वाले 16 राज्यों में से मध्य प्रदेश का चयन सर्वसम्मति से किया है।
- मध्यप्रदेश को उन जाने-माने फिल्म निर्माताओं की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया या फीडबैक मिला है, जो यहां पहले फिल्मांकन कर चुके हैं।
- पुरस्कारों के लिए राज्य द्वारा अपनी दावेदारी पेश करने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की गई।
- मध्य प्रदेश ने अपने यहां फिल्मांकन करना आसान करके यह पुरस्कार प्राप्त किया है, जहां बड़ी संख्या में फिल्म निर्माताओं ने विगत वर्षों के दौरान फिल्मांकन किया है।

ज्यूरी के बारे में

सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2017 के चयन के लिए संबंधित ज्यूरी की अध्यक्षता जाने-माने फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने की। ज्यूरी में प्रख्यात फिल्म निर्माता नागराज मंजुले, राजा कृष्ण मेनन, विवेक अग्निहोत्री और मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एमडी उदय सिंह भी शामिल थे।

उत्तराखंड राज्य को अपने यहां फिल्म अनुकूल परिदृश्य सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को ध्यान में रखते हुए 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' प्रदान किया गया।

'सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2017' में भाग लेने वाले राज्य

- अंडमान एवं निकोबार
- दिल्ली
- गुजरात
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मिजोरम
- ओडिशा
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तराखंड ■

4. सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ गुफा को 'साइलेंस जोन' घोषित करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित किया गया था।

जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने इसके साथ ही एनजीटी की ओर से 13 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगा दी। पीठ ने याचिकाकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी मुलेखी को भी अमरनाथ मामले में नए सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि

- एनजीटी ने 13 दिसंबर 2017 को फैसला देते हुए अमरनाथ गुफा को साइलेंस जोन घोषित कर दिया।

- साथ ही एक सीमा के बाद धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, ताकि इलाके में हिमस्खलन को रोका जा सके।
- एनजीटी के आदेशनुसार कोई भी व्यक्ति अमरनाथ गुफा तक कुछ भी नहीं ले जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की जांच के बाद ही उसे पवित्र गुफा तक जाने की अनुमति दी जाएगी।
- इसके बाद एनजीटी ने स्पष्ट किया कि गुफा को साइलेंस जोन घोषित नहीं किया गया है बल्कि प्राकृतिक शिवलिंग के समक्ष ध्वनि पर रोक लगाई गई है।
- एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए माता वैष्णो देवी में एक दिन में सिर्फ 50 हजार यात्री ही दर्शन करने के निर्देश दिए थे।
- एनजीटी के आदेश के खिलाफ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिबंधित घोड़ों और पोन्नी के लिए पुनर्वास योजना तैयार नहीं करने पर एनजीटी की ओर से जम्मू-कश्मीर सरकार पर लगाए 50 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगा दी। ■

5. आरटीआई आवेदन रद्द करने में सरकारी बैंक अग्रणीः अध्ययन

सार्वजनिक संगठनों में सरकारी बैंक सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन रद्द करने में सबसे आगे हैं। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार मुहिम द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि सभी सरकारी प्राधिकरणों को मिलने वाले कुल आरटीआई आवेदनों में नौ प्रतिशत आवेदन रिजर्व बैंक सहित 26 सार्वजनिक बैंकों को मिलते हैं।

इस अध्ययन में पाया गया कि रद्द किए जाने वाले आरटीआई आवेदनों में इनकी हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। अन्य सार्वजनिक ईकाईयों की तुलना में सरकारी बैंक आरटीआई को सबसे अधिक रद्द करते हैं।

अध्ययन के मुख्य तथ्य

- इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकों को 2016-17 के दौरान 86 हजार आरटीआई आवेदन मिले।
- रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ने सर्वाधिक 71 प्रतिशत आवेदन रद्द किए।

- इसके बाद ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 50 प्रतिशत, कॉरपोरेशन बैंक ने 47.3 प्रतिशत, आंध्र बैंक ने 45.9 प्रतिशत तथा देना बैंक और केनरा बैंक ने 40-40 प्रतिशत आरटीआई आवेदन रद्द किए हैं।
- रिजर्व बैंक ने 57 प्रतिशत आरटीआई आवेदनों को अन्य कारण बताकर रद्द किया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

वर्ष 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि नागरिक सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह-

- सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके।
- किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ले सके।
- किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके।
- किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके।

किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके। ■

6. मेघालय से पूरी तरह और अरूणाचल से आंशिक रूप से हटाया गया अफस्पा

मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को पूरी तरह हटा लिया गया है, जबकि अरूणाचल प्रदेश में अब यह असम सीमा से लगे आठ थाना क्षेत्रों और पड़ोसी म्यांमार से लगे तीन जिलों में लागू रहेगा। सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून 31 मार्च से मेघालय के सभी क्षेत्रों से हटा लिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना वारंट के ही तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में सुरक्षा हालात में उल्लेखनीय सुधार की वजह से यह फैसला किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि अरूणाचल प्रदेश में अब यह विवादित कानून असम सीमा से लगे 16 थाना क्षेत्रों से घटकर आठ थाना क्षेत्रों में लागू रहेगा।इसके अलावा यह तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में भी लागू रहेगा।

विभिन्न संगठन पूर्वोत्तर के साथ-साथ जम्मू कश्मीर से इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून सुरक्षा बलों को 'असैनिकों' के खिलाफ कार्रवाई करने की 'अपार शक्ति' देता है। अफस्पा नगालैंड में कई दशकों और असम में 1990 के दशक की शुरूआत से लागू है। तीन अगस्त, 2015 को नगा विद्रोही समूह एनएससीएन - आईएम महासचिव टी मुइवा और सरकार की ओर से वार्ताकार आर एन रवि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद नगालैंड से इसे वापस नहीं लिया गया है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1997 से लेकर पिछले दो दशकों में 2017 ऐसा साल रहा जब उग्रवाद से संबंधित सबसे कम घटनाएं दर्ज की गई और सबसे कम संख्या में असैनिक और सुरक्षाकर्मी हताहत हुए। अधिकारी ने बताया कि त्रिपुरा और मिजोरम से उग्रवाद का सफाया हो चुका है, वहीं असम, मेघालय, नगालैंड और मणिपुर में सुरक्षा हालात में सुधार हुआ है। ■

7. देश में सबसे अधिक आय भुगतान करने वाला शहर बना बेंगलुरू

बेंगलुरू देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है। इस मामले में फार्मा और हेल्थकेयर इंडस्ट्रीज शीर्ष पर हैं। यह कंपनियां अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा आय प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में अनुभवी प्रोफेशनल्स डॉक्टर सबसे आगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स की तुलनात्मक रूप से वेतन प्रदान किया जाता है। इस मामले में स्पेशलिस्ट डॉक्टर 18.4 लाख रूपये सालाना सीटीसी के साथ टॉप पर हैं। बेंगलुरू में हर स्तर और फंक्शंस पर कर्मचारियों की सालाना औसत सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) 10.8 लाख रूपये प्रदान किये जाते हैं। बेंगलुरू में आय भुगतान का पता रैंडस्टैडइंडिया के शोध एवं विश्लेषण विभाग रैंडस्टैड इनसाइट्स के अध्ययन में यह बात सामने आई हैं।

इस शोध में यह पता चला कि बेंगलुरू में कर्मचारियों को सर्वाधिक आय भुगतान किया जाता है तथा दूसरे स्थान पर पुणे एवं तीसरे स्थान पर दिल्ली एनसीआर काबिज हैं। देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से इससे जुड़े कार्यान्वयन और अनुपालन विशेषज्ञों की मांग में तेजी आई है। बेहतर वेतन पैकेज देने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में दवा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सबसे आगे हैं। इन क्षेत्रा में सभी स्तरों और कामकाजी क्षेत्रों में औसतन 9.6 लाख रूपये की सैलरी पैकेज प्रदान की जाती है।

सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले टॉप 5 शहर

नंबर	औसत सीटीसी	शहर
1.	10.8 लाख	बेंगलुरु
2.	10.3 लाख	पुणे
3.	9.9 लाख	दिल्ली–एनसीआर
4.	9.2 लाख	मुंबई
5.	7.9 लाख	चेन्नई

जीएसटी के लागू हो जाने के बाद से देश में सर्वाधिक जीएसटी क्रियान्वयन विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है। इस क्षेत्र मे पेशेवरों को लगभग 9.4 लाख रूपये सालाना तक पहुँच गया है। देश में सर्वाधिक वेतने देने वाले क्षेत्रों में तीसरे स्थान एफएमसीजी अर्थात रोजमर्रा उपभोग से जुड़ी वस्तुओं का है। जहां औसतन वेतन 9.2 लाख रूपये सालाना है। चौथे स्थान पर आईटी क्षेत्र आते हैं जहां औसतन सालाना आय भुगतान 9.1 लाख रूपये है।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

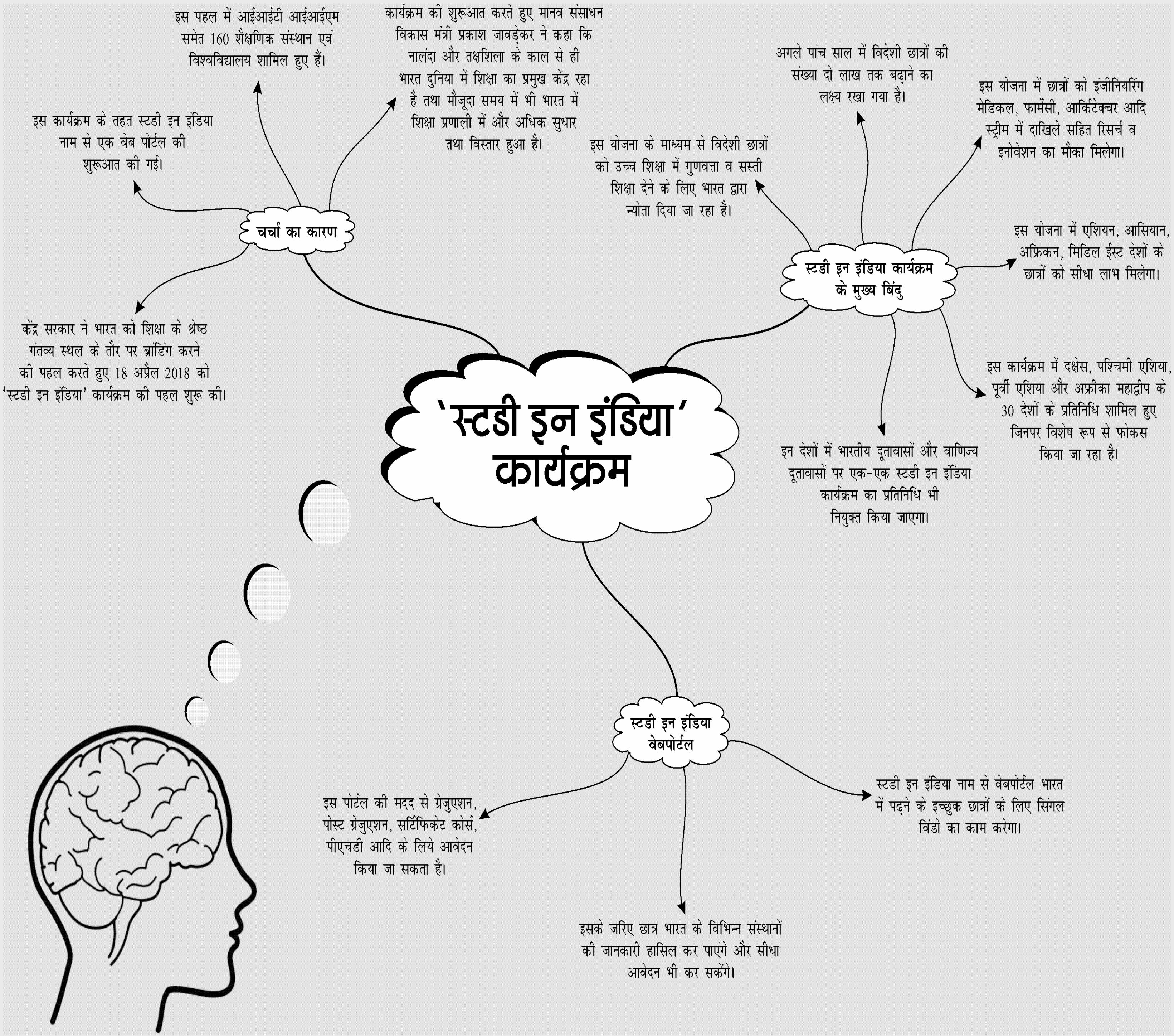
'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम
चर्चा का कारण
इस कार्यक्रम के तहत स्टडी इन इंडिया नाम से एक वेब पोर्टल की शुरूआत की गई।
इस पहल में आईआईटी आईआईएम समेत 160 शैक्षणिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं।
कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नालंदा और तक्षशिला के काल से ही भारत दुनिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है तथा मौजूदा समय में भी भारत में शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार तथा विस्तार हुआ है।
केंद्र सरकार ने भारत को शिक्षा के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के तौर पर ब्रांडिंग करने की पहल करते हुए 18 अप्रैल 2018 को 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की पहल शुरू की।
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के मुख्य बिंदु
इस योजना के माध्यम से विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व सस्ती शिक्षा देने के लिए भारत द्वारा न्योता दिया जा रहा है।
अगले पांच साल में विदेशी छात्रों की संख्या दो लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना में छात्रों को इंजीनियरिंग मेडिकल, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि स्ट्रीम में दाखिले सहित रिसर्च व इनोवेशन का मौका मिलेगा।
इस योजना में एशियन, आसियान, अफ्रिकन, मिडिल ईस्ट देशों के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
इस कार्यक्रम में दक्षेस, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिनपर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है।
इन देशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर एक-एक स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतिनिधि भी नियुक्त किया जाएगा।
स्टडी इन इंडिया वेबपोर्टल
इस पोर्टल की मदद से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट कोर्स, पीएचडी आदि के लिये आवेदन किया जा सकता है।
इसके जरिए छात्र भारत के विभिन्न संस्थानों की जानकारी हासिल कर पाएंगे और सीधा आवेदन भी कर सकेंगे।
स्टडी इन इंडिया नाम से वेबपोर्टल भारत में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए सिंगल विंडो का काम करेगा।

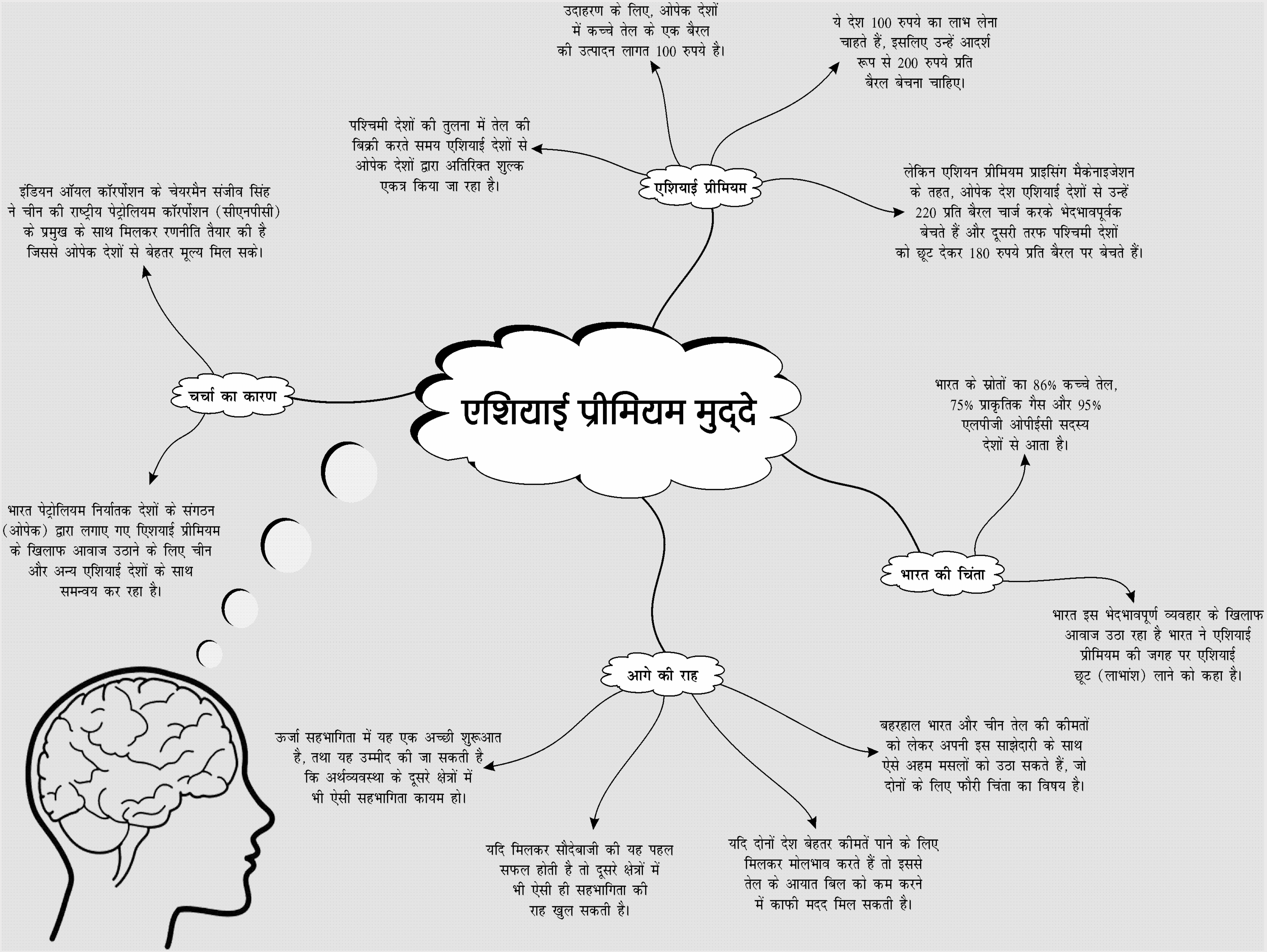
एशियाई प्रीमियम मुद्दे
एशियाई प्रीमियम
उदाहरण के लिए, ओपेक देशों में कच्चे तेल के एक बैरल की उत्पादन लागत 100 रुपये है।
ये देश 100 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आदर्श रूप से 200 रुपये प्रति बैरल बेचना चाहिए।
पश्चिमी देशों की तुलना में तेल की बिक्री करते समय एशियाई देशों से ओपेक देशों द्वारा अतिरिक्त शुल्क एकत्र किया जा रहा है।
लेकिन एशियन प्रीमियम प्राइसिंग मैकेनाइजेशन के तहत, ओपेक देश एशियाई देशों से उन्हें 220 प्रति बैरल चार्ज करके भेदभावपूर्वक बेचते हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों को छूट देकर 180 रुपये प्रति बैरल पर बेचते हैं।
चर्चा का कारण
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने चीन की राष्ट्रीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीएनपीसी) के प्रमुख के साथ मिलकर रणनीति तैयार की है जिससे ओपेक देशों से बेहतर मूल्य मिल सके।
भारत पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा लगाए गए एशियाई प्रीमियम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
भारत की चिंता
भारत के स्रोतों का 86% कच्चे तेल, 75% प्राकृतिक गैस और 95% एलपीजी ओपीईसी सदस्य देशों से आता है।
भारत इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज उठा रहा है भारत ने एशियाई प्रीमियम की जगह पर एशियाई छूट (लाभांश) लाने को कहा है।
आगे की राह
ऊर्जा सहभागिता में यह एक अच्छी शुरूआत है, तथा यह उम्मीद की जा सकती है कि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी सहभागिता कायम हो।
यदि मिलकर सौदेबाजी की यह पहल सफल होती है तो दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही सहभागिता की राह खुल सकती है।
यदि दोनों देश बेहतर कीमतें पाने के लिए मिलकर मोलभाव करते हैं तो इससे तेल के आयात बिल को कम करने में काफी मदद मिल सकती है।
बहरहाल भारत और चीन तेल की कीमतों को लेकर अपनी इस साझेदारी के साथ ऐसे अहम मसलों को उठा सकते हैं, जो दोनों के लिए फौरी चिंता का विषय है।

ध्येयIAS® most trusted since 2003

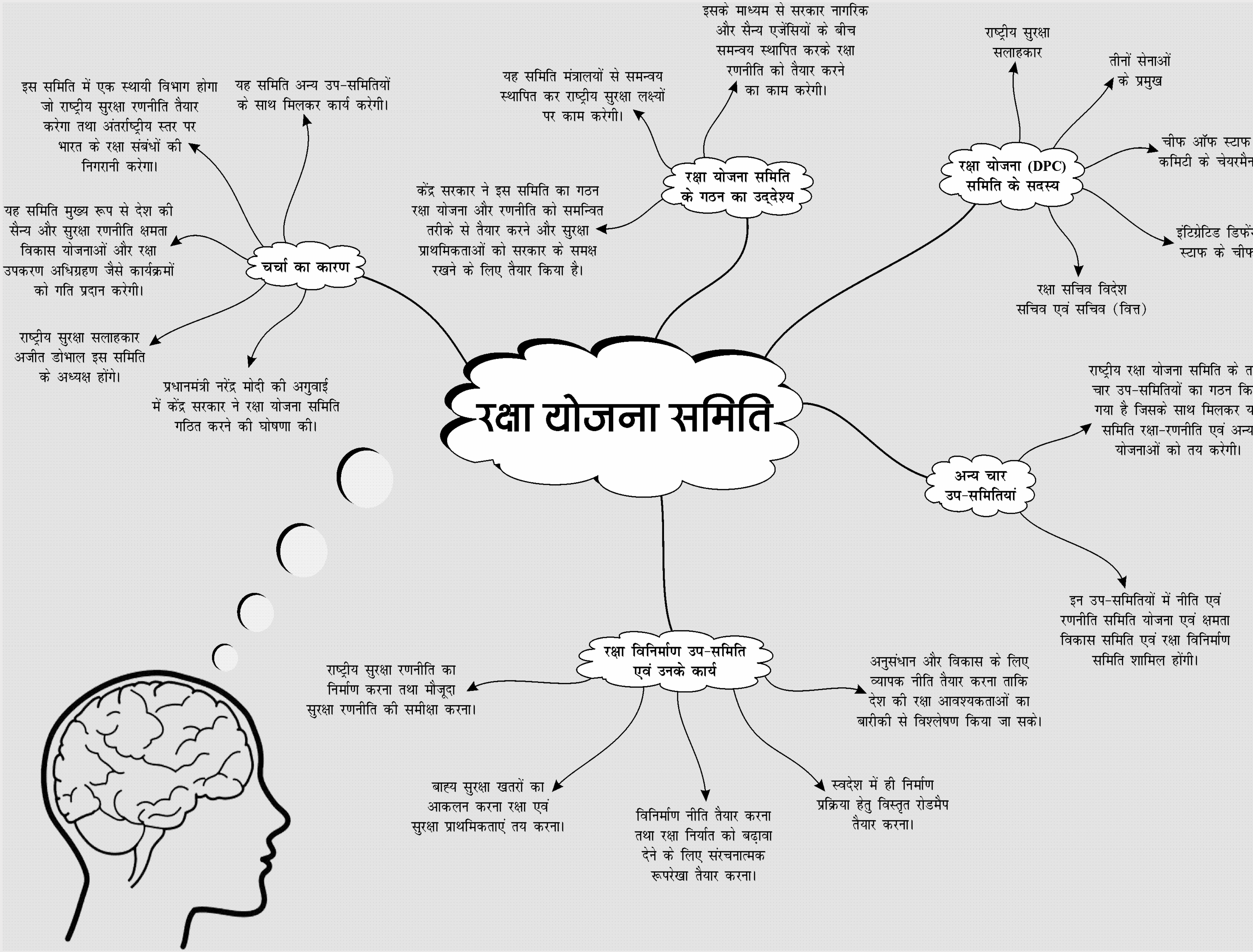

न्यायालय की अवमानना

विशेष तथ्य

आयोग ने सरकार को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा, 'आपराधिक अवमानना' से संबंधित प्रावधान हटाने के सुझाव का उच्च अदालतों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) की अवमानना (आपराधिक अवमानना सहित) करने पर सजा देने की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उनके पास अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियां हैं और ये शक्तियां वैधानिक प्रावधानों से अलग है। 'अवमानना के लिए सजा की शक्ति कानून से नहीं आती है बल्कि यह प्रक्रियागत व्यवस्था है जो इसे लागू करती है।

आयोग ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कानून लागू होने के पहले से उच्च अदालतों द्वारा इन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था। अत: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्तियां कानून से स्वतंत्र है।

इस तरह का कोई संशोधन कर संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत अवमानना के लिए सजा देने की उच्च अदालतों की शक्ति को कमतर या इसे खत्म नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय के न्याय विभाग ने आयोग से अवमानना की परिभाषा को केवल 'अदालत के निर्देश या फैसले की जानबूझकर अवज्ञा' तक सीमित करने के लिए अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन पर विचार करने का अनुरोध किया था।

विभाग ने एक अन्य उपबंध 'आपराधिक अवमानना' को हटाने का भी अनुरोध किया था जिसमें 'अदालत को बदनाम करना' भी शामिल है।

चर्चा का कारण

आयोग ने कहा है कि कानून में संशोधन के बावजूद अदालतें अपनी अवमानना के लिए लोगों को सजा देने की शक्ति का प्रयोग अब भी कर सकती हैं क्योंकि इसका अधिकार उन्हें किसी कानून से नहीं अपितु संविधान से प्राप्त होता है।

विधि आयोग ने 'अदालत की अवमानना' की परिभाषा सीमित करने के कानून मंत्रालय के सुझाव का समर्थन नहीं किया।

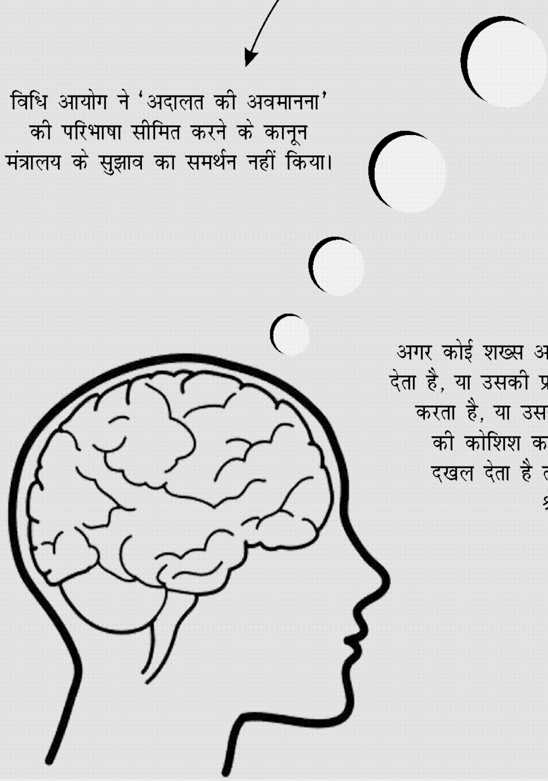

क्या है न्यायालय की अवमानना?

किसी न्यायालय या न्यायधीश द्वारा दिये गये निर्णय की अवहेलना करना या निरादर करना न्यायालय की अवमानना कहलाता है।

न्यायालय की अवमानना दो तरह का होता है- सिविल अवमानना और क्रिमिनल अवमानना।

जब कोई अदालती आदेश हो या फिर कोई जजमेंट हो या कोई डिक्री हो और उस आदेश का तय समय पर पालन न हो, साथ ही अदालत के आदेश की अवहेलना हो रही हो तो यह मामला सिविल अवमानना का बनता है।

अगर कोई शख्स अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है, या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करता है, या उसके मान-सम्मान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या अदालती कार्रवाई में दखल देता है तो यह क्रिमिनल अवमानना की श्रेणी में आता है।

अमेरिका ने भारतीय मुद्रा को निगरानी सूची में डाला

चर्चा का कारण

- अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने भारत को 13 अप्रैल, 2018 को उस निगरानी सूची में डाल दिया है, जिसमें ऐसे देश शामिल हैं, जिनकी विनिमय दर नीति पर उसे संदेह है।
- इस सूची में चीन समेत चार अन्य देश भी शामिल हैं।

प्रमुख तथ्य

- अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा कि निगरानी सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जो बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और जिनकी विनिमय दर पर ध्यान देने की जरूरत है।
- इसमें भारत को जोड़ा गया है। जबकि पिछले साल अक्टूबर में अर्ध वार्षिक रिपोर्ट के वक्त कांग्रेस ने इसमें चीन, जापान, जर्मनी, कोरिया और स्विट्जरलैण्ड को शामिल किए थे।
- अमेरिका दो रिपोर्ट तक इस सूची में देशों को रखता है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि देशों के प्रदर्शन में सुधार अस्थाई नहीं बल्कि स्थाई कारणों से है।
- हालांकि अमेरिका का कहना है कि उन्हें कोई बड़ा व्यापारिक साझेदार देश नहीं मिला है, जिसने अपनी मुद्रा से छेड़छाड़ की है, लेकिन दो अन्य मानकों के कारण पांच अन्य देश इस सूची में शामिल हैं।
- वहीं चीन को इस सूची में डाला गया है क्योंकि अमेरिका के व्यापार घाटे में उसका बड़ा हिस्सा है।

ट्रेजरी विभाग के निष्कर्ष

ट्रेजरी विभाग के निष्कर्ष तीन प्रमुख मानदंडों पर आधारित है:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष।
- एक भौतिक चालू खाता अधिशेष, और (3) विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार एक तरफा हस्तक्षेप।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष है, जो कुल 2017 में 23 अरब डॉलर था।

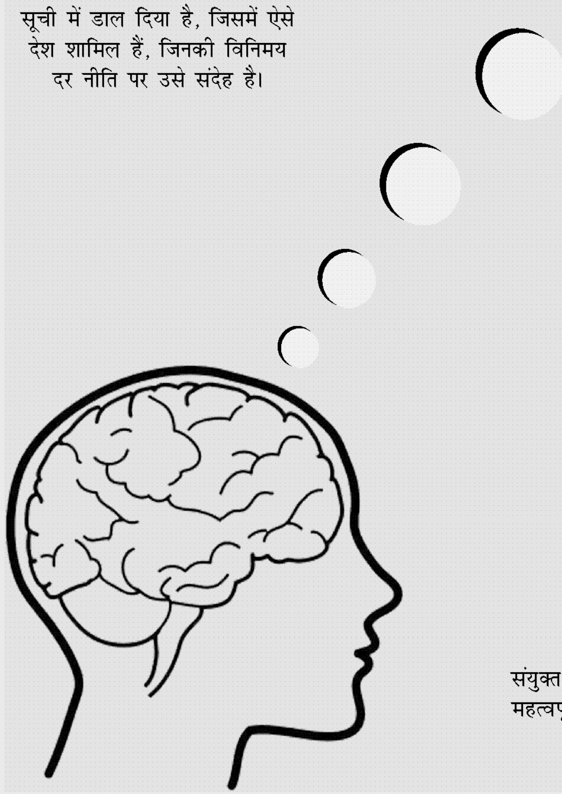

कॉमनवेल्थ राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक

चर्चा का कारण

- इस बैठक में भारत सहित 53 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
- लगभग 20 वर्षों बाद ब्रिटेन इस बैठक की मेजबानी कर रहा है।
- बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिटेन पहुंचे हैं।
- ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौजूदगी में बैठक की औपचारिक शुरूआत हुई।
- राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक अर्थात चोगम 19 अप्रैल 2018 को लंदन में शुरू हो गया।

चोगम में भारत का रुख

- पश्चिम देशों की भारतीय सचिव रुचि घनश्याम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रमण्डल प्रमुखों की बैठक के दौरान बताया गया कि उनका फोकस सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को हल करने पर केंद्रित है।
- युवा लोगों के लिए भी घोषणाएं की गई भारत द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के 30 लड़कों तथा 30 लड़कियों को क्रिकेट में प्रशिक्षित किया जायेगा।
- कॉमनवेल्थ देशों के अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ियों को बीसीसीआई द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटे देशों की छोटी परियोजनाओं में निवेश करने पर बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।
- चोगम की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भी राष्ट्रमण्डल समूह को फिर से पुनर्जीवित करने पर चर्चा हुई।
- प्रधानमंत्री मोदी ने सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा की।
- दोनों नेताओं के बीच युवाओं पर ध्यान देने की बात को शामिल किया गया जिनकी आबादी में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- यह 2009 के बाद पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री चोगम की बैठक में हिस्सा ले रहा है।

चोगम क्या है?

- राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 सिंगापुर में किया गया था जबकि राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के 7वें सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1983 में भारत में किया गया था।
- चोगम शिखर सम्मेल (Commonwealth Heads of Government Meeting, CHOGM) राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक का सम्मेलन है जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमण्डल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं।
- चोगम शिखर सम्मेलन प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है।
- चोगम शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से मेजबान देश और राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। इसके 53 सदस्य देश हैं।
- इसमें सामूहिम नीतियों और पहल के बारे में फैसला करने के लिए बैठक आयोजित की जाती है।

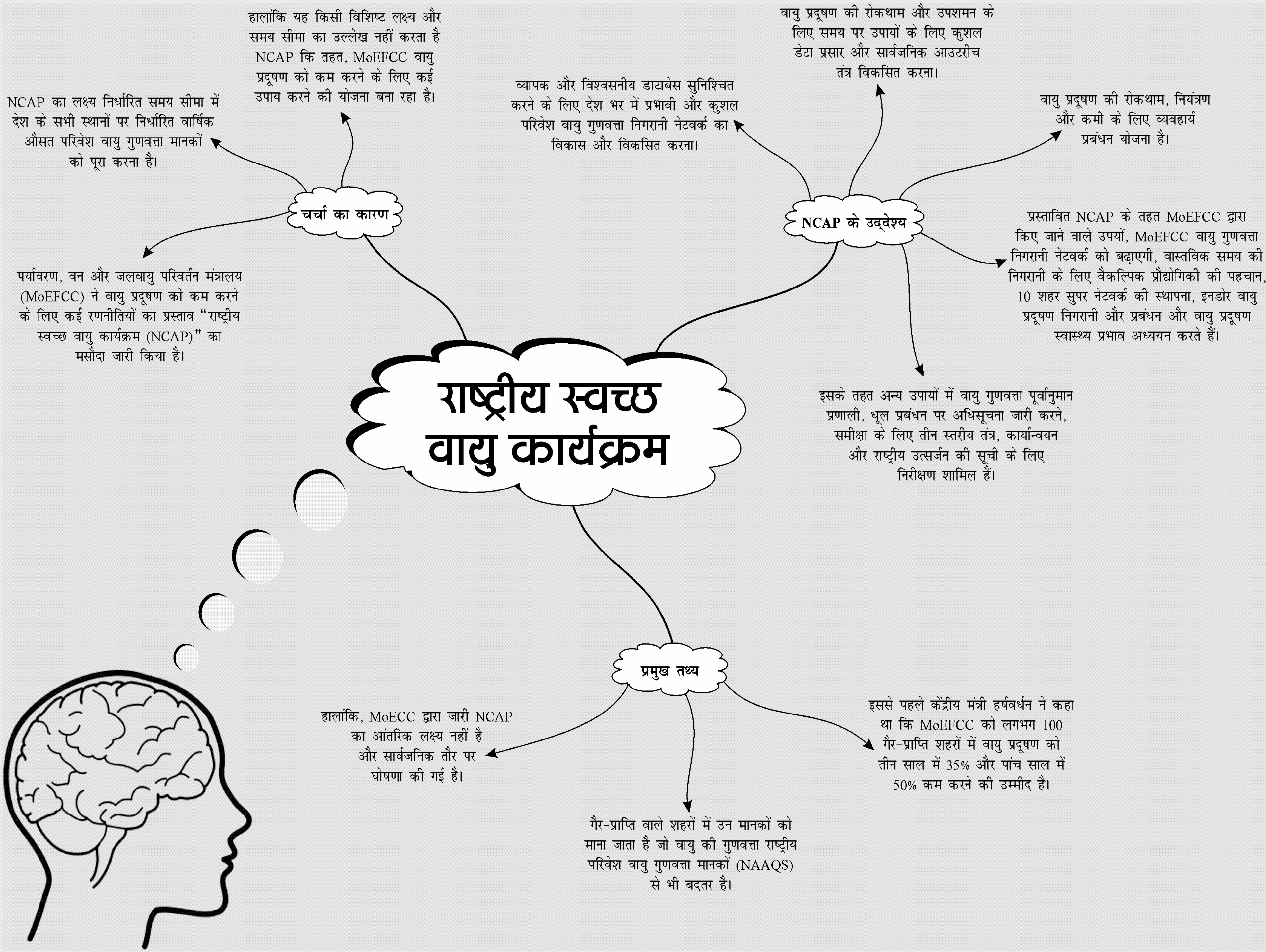
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
चर्चा का कारण
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई रणनीतियों का प्रस्ताव "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)" का मसौदा जारी किया है।
NCAP का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है।
हालांकि यह किसी विशिष्ट लक्ष्य और समय सीमा का उल्लेख नहीं करता है NCAP कि तहत, MoEFCC वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय करने की योजना बना रहा है।
NCAP के उद्देश्य
व्यापक और विश्वसनीय डाटाबेस सुनिश्चित करने के लिए देश भर में प्रभावी और कुशल परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विकास और विकसित करना।
वायु प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन के लिए समय पर उपायों के लिए कुशल डेटा प्रसार और सार्वजनिक आउटरीच तंत्र विकसित करना।
वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए व्यवहार्य प्रबंधन योजना है।
प्रस्तावित NCAP के तहत MoEFCC द्वारा किए जाने वाले उपायों, MoEFCC वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाएगी, वास्तविक समय की निगरानी के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की पहचान, 10 शहर सुपर नेटवर्क की स्थापना, इनडोर वायु प्रदूषण निगरानी और प्रबंधन और वायु प्रदूषण स्वास्थ्य प्रभाव अध्ययन करते हैं।
इसके तहत अन्य उपायों में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली, धूल प्रबंधन पर अधिसूचना जारी करने, समीक्षा के लिए तीन स्तरीय तंत्र, कार्यान्वयन और राष्ट्रीय उत्सर्जन की सूची के लिए निरीक्षण शामिल हैं।
प्रमुख तथ्य
हालांकि, MoECC द्वारा जारी NCAP का आंतरिक लक्ष्य नहीं है और सार्वजनिक तौर पर घोषणा की गई है।
गैर-प्राप्ति वाले शहरों में उन मानकों को माना जाता है जो वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) से भी बदतर है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि MoEFCC को लगभग 100 गैर-प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण को तीन साल में 35% और पांच साल में 50% कम करने की उम्मीद है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है

(a) केंद्र सरकार ने भारत को शिक्षा के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के तौर पर ब्रॉडिंग करने की पहल करते हुए 18 अप्रैल 2018 को स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की पहल शुरू की है।

(b) इस योजना के माध्यम से विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण व सस्ती शिक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है।

(c) इस पोर्टल की मदद से प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातक, परास्नातक, सर्टिफिकेट कोर्स पीएचडी आदि के लिए आवेदन किया जाता है।

(d) इस पोर्टल के माध्यम अगले पांच साल में विदेशी छोत्रों की संख्या दो लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम पहल के तहत आईआईटी, आईआईएम समेत 160 शैक्षणिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय शामिल किये गए हैं। इस योजना के माध्यम से विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण व सस्ती शिक्षा देने के लिए भारत द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा शामिल नहीं हैं अत: कथन c गलत है। ■

2. एशियाई प्रीमियम मुद्दे

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. इंडियन ऑयल कॉरर्पोशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने चीन की राष्ट्रीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन (सीएनसीपी) के प्रमुख के साथ मिलकर ओपेक देशों से बेहतर मूल्य पर तेल प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की है।
2. भारत के ऊर्जा स्रोतों का 86% कच्चे तेल, 75% प्राकृतिक गैस और 96% एलपीजी ओपीईसी सदस्य देशों से आयात होता है।
3. ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक एवं निर्यातक देशों का संगठन है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2

(b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3

(d) सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत ने ओपेक के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाकर एशियाई प्रीमियम की जगह पर एशियाई छूट (लाभांश) लाने को कहा है। क्योंकि ओपेक पश्चिमी देशों की तुलना में तेल की बिक्री करते समय एशियाई देशों से अतिरिक्त शुल्क एकत्र कर रहा है। ओपेक 14 तेल उत्पादक देशों का संगठन है। अत: सभी कथन सही हैं। ■

3. रक्षा योजना समिति

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने रक्षा योजना समिति गठित करने की घोषणा की।
2. यह समिति मुख्य रूप से देश की सैन्य और सुरक्षा रणनीति क्षमता विकास योजनाओं और रक्षा उपकरण अधिग्रहण जैसे कार्यक्रमों को गति प्रदान करेगी।
3. इस समिति में एक स्थाई विभाग होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के रक्षा संबंधों की निगरानी करेगा।
4. भारत के रक्षा मंत्री इस रक्षा योजना समिति के अध्यक्ष होंगे।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3

(b) केवल 2, 3 व 4

(c) केवल 1, 3 व 4

(d) सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस रक्षा योजना समिति के अध्यक्ष होंगे। यह रक्षा योजना समिति मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों पर काम करेगी। इस समिति के अंदर चार उपसमितियाँ है। ■

4. न्यायालय की अवमानना

प्र. निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है

(a) संविधान का कोई भी संशोधन अनुच्छेद 129 और 215 के तहत अवमानना के लिए सजा देने की उच्च अदालतों की शक्ति को कमतर या इसे खत्म कर सकता है।

(b) न्यायालय की अवमानना दो तरह की होती है पहली सिविल अवमानना और दूसरी क्रिमिनल अवमानना।

(c) किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की अवहेलना करना या निरादर करना न्यायालय की अवमानना कहलाता है।

(d) हाल ही में विधि आयोग ने अदालत की अवमानना की परिभाषा सीमित करने के कानून मंत्रालय के सुझाव का समर्थन नहीं किया।

उत्तर: (a)

व्याख्या: किसी भी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 129 और 215 के तहत अवमानना के लिए सजा देने की उच्च अदालतों की शक्ति को कमतर या इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। अत: कथन a गलत है। विधि आयोग ने अदालत की अवमानना को परिभाषा सीमित करने के कानून मंत्रालय के सुझाव का समर्थन नहीं किया। ■

5. अमेरिका ने भारतीय मुद्रा को निगरानी सूची में डाला

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को 13 अप्रैल 2018 को उस निगरानी सूची में डाल दिया है जिसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनकी विनिमय दर नीति पर उसे संदेह है।
2. निगरानी सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जो बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और जिनकी विनिमय दर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती।
3. चीन को भी अमेरिका द्वारा निगरानी सूची में डाला गया है क्योंकि अमेरिका के व्यापार घाटे में उसका बड़ा हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 व 3　　(b) केवल 3 व 1

(c) केवल 2　　(d) 1, 2 व 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत और चीन सहित अन्य 4 देशों की मुद्रा को भी निगरानी सूची में डाला है। निगरानी सूची में उन देशों को डाला जाता है जो बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और जिनकी विनिमय दर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अत: कथन 2 गलत है इसलिए उत्तर b होगा। ■

6. कॉमनवेल्थ राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक

प्र. निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. हाल ही में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक को लंदन में आयोजित किया गया।
2. राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1971 में सिंगापुर में हुआ था।
3. चोगम शिखर सम्मेलन प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है।
4. यह 2009 के बाद पहला मौका है जब किसी भारतीय राष्ट्रपति ने चोगम की बैठक में हिस्सा लिया।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 व 3

(b) 2, 3 व 4

(c) 1, 3 व 4

(d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (a)

व्याख्या: 19 अप्रैल 2018 को लंदन में चोगम सम्मेलन का आयोजन किया गया इस बैठक में भारत सहित 53 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया यह 2009 के बाद पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री चोगम की बैठक में हिस्सा ले रहा है। ■

7. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का मसौदा जारी किया।
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार लगभग 100 गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण को तीन साल में 0 प्रतिशत करने की उम्मीद है।
3. गैर प्राप्ति वाले शहरों में उन मामलों को माना जाता है जो वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों NAAOS से भी बदत्तर है।

उपर्युक्त कथनों मे कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 2　　(b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3　　(d) 1, 2 व 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: केंद्रिय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि MoEFCC को लगभग 100 गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण को तीन साल में 35% ...... का प्रावधान है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में भारत सरकार किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर 350 रुपये का विशेष सिक्का जारी करेगी?

   - गुरु गोविन्द सिंह (350वीं जयंती)

2. हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - विन मिंत

3. हाल ही में हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - अनुराग ठाकुर (बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन)

4. हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - अबिये अहमद

5. हाल ही में 'डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल' कहाँ पर बनाया गया है?

   - अलीपुर रोड (दिल्ली)

6. भारत की सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड कहाँ पर स्थित है?

   - गाजियाबाद

7. हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - आर. बी. पंडित

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है।

- जवाहर लाल नेहरू

2. उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है, जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता।

- स्वामी विवेकानंद

3. मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता।

- अब्दुल कलाम

4. लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता है।

- लाल बहादुर शास्त्री

5. जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।

- महात्मा गाँधी

6. क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है।

- अल्बर्ट आइंस्टीन

7. एक देश की ताकत अंततः इस बात में निहित है कि वो खुद क्या कर सकता है, इसमें नहीं कि वो औरों से क्या उधार ले सकता है।

- इंदिरा गाँधी

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. फ्रेकिंग हमें पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर कर सकती है, लेकिन यह एक बड़ी कीमत पर ऐसा करती है। इस संदर्भ में चर्चा करें कि क्या भारत के लिए फ्रेकिंग शुरू करना उचित है या नहीं?

2. 15वें वित्त आयोग द्वारा जनगणना आधार के बदलाव और इस आधार पर संसाधनों के आवंटन के कारण सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो देश की एकता-अखंडता के लिये एक गंभीर चुनौती हैं। इस क्षेत्र में उत्पन्न संभावित चुनौतियों की चर्चा करते हुये आवश्यक उपायों को भी सुझाएँ।

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के इतने वर्षों पश्चात् भी इसका कार्यान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त सुझावों का वर्णन करें।

4. राष्ट्रमंडल के देशों में भारत की भूमिका पर चर्चा करें और यह भी बताएँ कि संगठन की प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए एक समानतावादी और समावेशी प्रवास नीति क्यों महत्वपूर्ण है?

5. बाल बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान, पीड़िता के जान के लिए खतरा साबित हो सकता है क्योंकि यह प्रावधान अपराधी को पीड़िता के हत्या की ओर अग्रसर कर सकता है। हाल ही में आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 को ध्यान में रखते हुए, इस प्रावधान का विश्लेषण करें।

6. जम्मू-कश्मीर की हिंसा को खत्म करने और वहाँ दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के लिए अफस्पा (AFSPA) अपरिहार्य है। अलोचनात्मक परीक्षण करें।

7. आचार संहिता के नियम नैतिकता के अधिकार क्षेत्र की वैधता को कम करते हैं। विश्लेषण करें।

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

FREE REGISTRATION

Dhyeya Student Portal

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST :	DAILY Q & A CHECKING
VIDEOS:	ARTICLE ANALYSIS
CURRENT AFFAIRS:	ESSAY
DISCUSSION	AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल	अन्य पोर्टल एवं साइट्स
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✓(कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓(कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✗
	अंग्रेजी	✓	✗

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

You did it...

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Entire Dhyeya IAS Family Proudly Congratulate our Success Makers in **IAS-2016** Examination and wishes them a Bright & Shining Future Ahead...

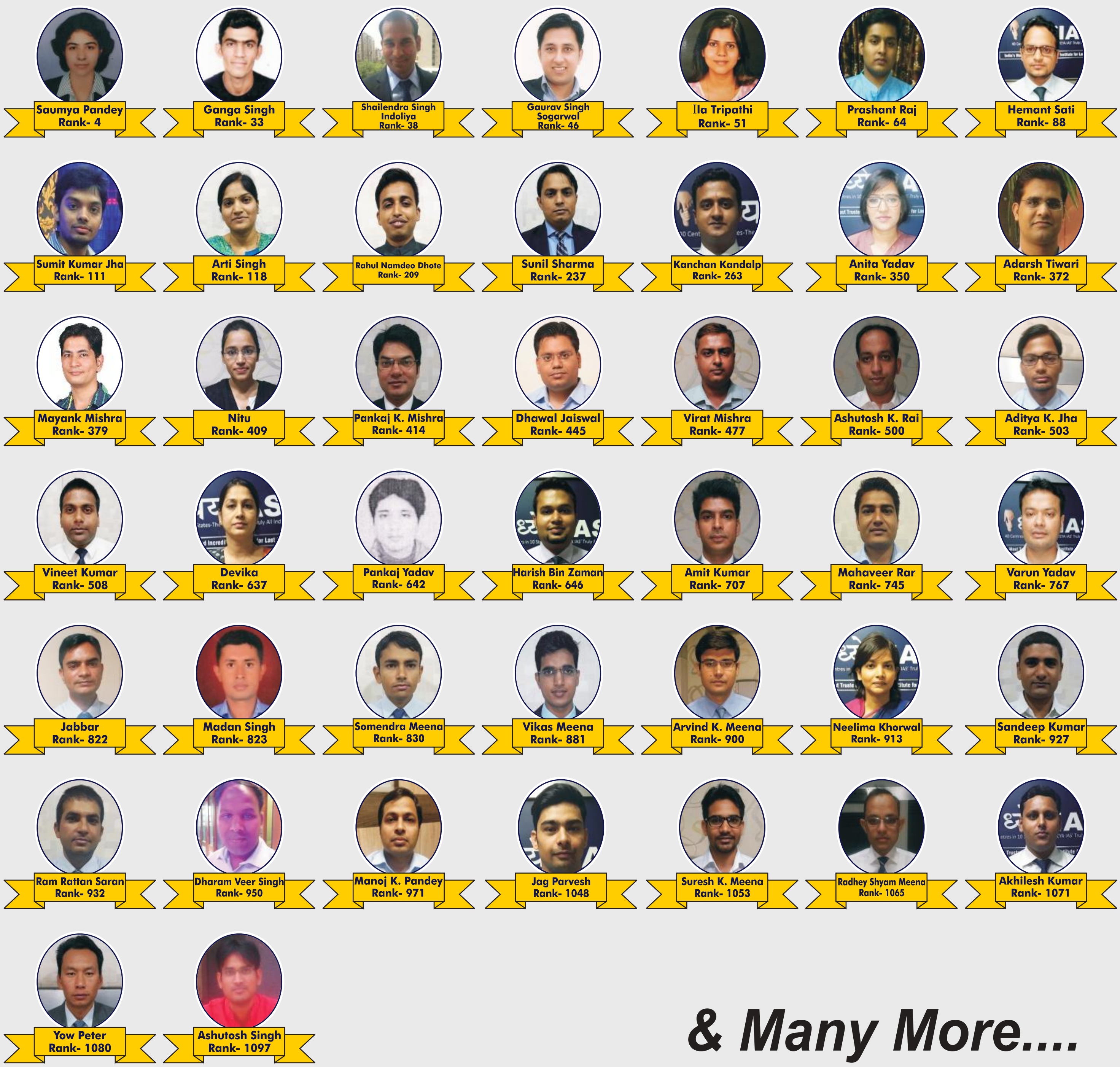

& Many More....

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42 / 43

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park lll, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399 **DELHI & NCR** - FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA-KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB** - PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN** - JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND** - HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH** - BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**